गरवी गुजरात

PRGI No. GUJHIN/2011/39228

गरवी गुजरात

PUBLISHED HINDI DAILY FROM AHMEDABAD

वर्ष : 16
अंक : 047
दि. 16.06.2026,
मंगलवार
पाना : 04
किंमत : 00.50 पैसा

आधुनिक इन्फ्रास्ट्रक्चर से बदलता भारत

गुजरात सरकार

164 वंदे भारत ट्रेनों से देश को मिली आधुनिक और तेज रफ्तार रेल सेवा

अटल सेतु, सुदर्शन सेतु, चिनाब रेल ब्रिज,
पंबन समुद्री पुल, बोगीबील ब्रिज
जैसे बड़े इन्फ्रास्ट्रक्चर का निर्माण

12 साल विश्वास के, विकास के, जनकल्याण के

देशभर में संचालित 164 वंदे भारत ट्रेनें और तेजी से विस्तारित होता आधुनिक मेट्रो नेटवर्क, भारत के तीव्र गति से विकसित होते बुनियादी ढाँचे का सशक्त प्रमाण हैं। - श्री हर्ष संघवी, माननीय उपमुख्यमंत्री, गुजरात

ट्रांसजेंडर अधिकार कानून पर सुप्रीम कोर्ट की सख्ती, एक जैसी सुनवाई के लिए मामलों के समेकन पर जोर, हाईकोर्ट की कार्यवाही पर लगी अस्थायी रोक

नई दिल्ली। देश में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के अधिकारों से जुड़े एक महत्वपूर्ण संवैधानिक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को अहम रुख अपनाते हुए केंद्र सरकार की याचिका पर नोटिस जारी किया है। यह याचिका ट्रांसजेंडर पर्सन्स (प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स) अमेंडमेंट एक्ट, 2026 की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली विभिन्न याचिकाओं को देश के अलग-अलग हाईकोर्टों से हटाकर सुप्रीम कोर्ट में स्थानांतरित करने से जुड़ी है। इस मामले की सुनवाई अब 3 अगस्त को होगी।

सुप्रीम कोर्ट की सीजेआई सूर्यकांत और न्यायमूर्ति वी. मोहन की पीठ ने इस मामले में दिल्ली, राजस्थान, कर्नाटक और केरल हाईकोर्ट सहित कई न्यायालयों में लंबित याचिकाओं के याचिकाकर्ताओं को नोटिस जारी करते हुए उनका पक्ष मांगा है। इसके साथ ही अदालत ने फिलहाल संबंधित हाईकोर्टों में इस कानून को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर आगे की सुनवाई पर अंतरिम रोक भी लगा दी है, जिससे यह मामला फिलहाल केंद्रीकृत न्यायिक प्रक्रिया की ओर बढ़ता दिखाई दे रहा है।

सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष दलील दी कि एक केंद्रीय कानून की संवैधानिकता को लेकर देश के विभिन्न हाईकोर्टों में अलग-अलग याचिकाएं दायर की गई हैं, जिससे न्यायिक असमानता और विरोधाभासी फैसलों की संभावना उत्पन्न हो सकती है। उन्होंने कहा कि जब एक ही कानून की वैधता पर कई स्तरों पर सुनवाई चल रही हो, तो यह आवश्यक हो जाता है कि मामलों को या तो सर्वोच्च न्यायालय में एक साथ सुना जाए या फिर किसी एक हाईकोर्ट को इसके लिए अधिकृत किया जाए, ताकि एक समान कानूनी दृष्टिकोण विकसित हो सके।

सॉलिसिटर जनरल ने इस दौरान सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक 'नालसा बनाम यूनियन ऑफ इंडिया' फैसले का भी उल्लेख किया, जिसमें ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के अधिकारों और उनकी आत्म-पहचान को संवैधानिक संरक्षण प्रदान किया गया था। उन्होंने कहा कि उस निर्णय के बाद बने कानूनी ढांचे की व्याख्या में एकरूपता जरूरी है, अन्यथा अलग-अलग हाईकोर्टों के फैसलों से भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। उन्होंने यह भी संकेत दिया कि इस संवेदनशील विषय पर एक बड़ी पीठ द्वारा विस्तृत विचार की आवश्यकता हो सकती है।

वहीं दूसरी ओर याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश वकीलों ने केंद्र सरकार

की इस मांग का विरोध किया। उनका कहना था कि संशोधित कानून केवल 'नालसा' फैसले पर आधारित मुद्दा नहीं है, बल्कि इसमें कई ऐसे प्रावधान शामिल हैं जो सीधे तौर पर ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के मौलिक अधिकारों को प्रभावित करते हैं। याचिकाकर्ताओं ने दलील दी कि नया संशोधन आत्म-पहचान के सिद्धांत को कमजोर करता है और इसके स्थान पर चिकित्सा प्रमाणन तथा सरकारी सत्यापन जैसी प्रक्रियाएं लागू करता है, जिससे पहचान की स्वतंत्रता सीमित हो सकती है।

याचिकाकर्ताओं ने यह भी कहा कि इस प्रकार का कानूनी ढांचा ट्रांसजेंडर समुदाय की गरिमा और स्वतंत्रता पर प्रभाव डाल सकता है, क्योंकि पहचान को प्रशासनिक प्रक्रियाओं के अधीन करना संवैधानिक अधिकारों के विपरीत है। उनके अनुसार यह संशोधन न केवल विवादास्पद है, बल्कि इसका कोई ठोस चिकित्सीय या वैज्ञानिक आधार भी स्पष्ट रूप से सामने नहीं आता।

सुप्रीम कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद स्पष्ट किया कि यह मामला अत्यंत संवेदनशील और व्यापक कानूनी प्रभाव वाला है, इसलिए इसे एक समान न्यायिक मंच पर सुनना आवश्यक प्रतीत होता है। अदालत ने कहा कि या तो सभी संबंधित मामलों की सुनवाई वह स्वयं करेगी या फिर किसी एक हाईकोर्ट को इसके लिए अधिकृत किया जाएगा, ताकि अलग-अलग अदालतों में विरोधाभासी निर्णयों की स्थिति से बचा जा सके। इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने चार प्रमुख हाईकोर्टों—दिल्ली, राजस्थान, कर्नाटक और केरल—में लंबित मामलों की आगे की सुनवाई पर फिलहाल रोक लगा दी है। यह अंतरिम व्यवस्था तब तक लागू रहेगी जब तक शीर्ष अदालत इस विषय पर अंतिम निर्णय नहीं ले लेती।

गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट में यह याचिका दायर की थी कि इस कानून को चुनौती देने वाले सभी मामलों को एक साथ शीर्ष अदालत में स्थानांतरित किया जाए। सरकार का तर्क है कि जब एक ही संवैधानिक प्रश्न पर अलग-अलग अदालतों में सुनवाई होती है, तो इससे न्यायिक दृष्टिकोण में असंगति उत्पन्न हो सकती है, जो कानून की एकरूपता के लिए उचित नहीं है।

इस मामले पर पिछली सुनवाई में भी सॉलिसिटर जनरल ने शीघ्र सुनवाई की मांग की थी, जिस पर तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश ने यह टिप्पणी की थी कि कभी-कभी हाईकोर्टों की विविध राय भी न्यायिक प्रक्रिया को समृद्ध करती है, हालांकि उन्होंने मामले को जल्द सूचीबद्ध करने पर सहमति जताई थी।

यह पूरा विवाद ऐसे समय पर सामने आया है जब ट्रांसजेंडर अधिकारों और उनकी कानूनी पहचान को लेकर देश में व्यापक बहस चल रही है। कई सामाजिक संगठन और अधिकार कार्यकर्ता इस संशोधित कानून को मौलिक अधिकारों के खिलाफ बताते हुए इसे चुनौती दे रहे हैं। उनका कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के 'नालसा' फैसले ने ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को आत्म-पहचान का अधिकार दिया था, लेकिन नए संशोधन के जरिए उस अधिकार को सीमित करने का प्रयास किया जा रहा है।

दूसरी ओर सरकार का तर्क है कि यह संशोधन अधिकारों को सीमित करने के लिए नहीं, बल्कि कानूनी स्पष्टता और प्रशासनिक व्यवस्था को मजबूत करने के लिए लाया गया है। सरकार का कहना है कि एक सुव्यवस्थित प्रक्रिया से ही वास्तविक लाभार्थियों की पहचान सुनिश्चित की जा सकती है और नीतियों का सही क्रियान्वयन संभव हो सकता है।

फिलहाल यह मामला सुप्रीम कोर्ट के समक्ष विचाराधीन है और 3 अगस्त को होने वाली अगली सुनवाई पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं। यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि अदालत इस संवेदनशील विषय पर किस दिशा में आगे बढ़ती है और क्या सभी मामलों को एकीकृत सुनवाई के लिए अपने पास रखती है या किसी अन्य न्यायिक व्यवस्था को आगे बढ़ने का अवसर देती है।

जमीन विवाद में यूसुफ पठान को हाईकोर्ट से मिली आंशिक राहत, चार सप्ताह का समय लेकिन सख्त चेतावनी भी जारी

अहमदाबाद। गुजरात हाईकोर्ट ने सोमवार को पूर्व भारतीय क्रिकेटर और तृणमूल कांग्रेस के सांसद यूसुफ पठान को वडोदरा स्थित एक सरकारी जमीन से जुड़े विवाद में आंशिक राहत प्रदान की है। अदालत ने उन्हें अपने दावे को आगे बढ़ाने और आवश्यक कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के लिए चार सप्ताह का अतिरिक्त समय दिया है। हालांकि, इस राहत के साथ ही अदालत ने कड़े शब्दों में यह स्पष्ट कर दिया कि यदि जमीन के उपयोग और खाली करने में अनावश्यक देरी की जाती है, तो अतिरिक्त हर्जाना भी भुगतना पड़ सकता है।

यह मामला वडोदरा की उस सरकारी जमीन से जुड़ा है, जिस पर यूसुफ पठान वर्ष 2014 से कथित रूप से काबिज हैं। राज्य सरकार की ओर से आरोप लगाया गया है कि इस भूमि के उपयोग के बदले अब तक कोई भुगतान नहीं किया गया है। इसी विवाद के चलते मामला अदालत तक पहुंचा, जहां सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों ने अपनी-अपनी दलीलें प्रस्तुत कीं।

गुजरात हाईकोर्ट की मुख्य न्यायाधीश सुनीता अग्रवाल और न्यायमूर्ति डी.एन. रॉय की खंडपीठ ने इस मामले की सुनवाई की। सुनवाई के दौरान यूसुफ पठान की ओर से पेश वकील ने अदालत से समय की मांग की। उन्होंने दलील दी कि यह मामला राज्य सरकार की एक नीति से जुड़ा हुआ है और उसी नीति के तहत अन्य खिलाड़ियों को भी जमीन आवंटित की गई है। वकील ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि इसी आधार पर यूसुफ पठान के मामले पर भी सकारात्मक विचार किया जाएगा।

हालांकि, अदालत ने इस दलील को सुनते हुए यह स्पष्ट किया कि न्यायिक प्रक्रिया में समय दिया जा सकता है, लेकिन लंबे समय तक अनिश्चित स्थिति को स्वीकार

नहीं किया जा सकता। मुख्य न्यायाधीश ने टिप्पणी करते हुए कहा कि अदालत समय देने के खिलाफ नहीं है, लेकिन यह भी ध्यान रखना आवश्यक है कि यदि किसी जमीन पर लंबे समय तक बिना भुगतान या औपचारिक स्वीकृति के कब्जा बना रहता है, तो इससे कानूनी और वित्तीय दायित्व बढ़ सकते हैं।

सुनवाई के दौरान अदालत ने यह भी उल्लेख किया कि रिकॉर्ड के अनुसार यूसुफ पठान 2014 से इस भूमि पर काबिज हैं और इस अवधि के दौरान कोई भुगतान नहीं किया गया है। इस पर अदालत ने सख्त रुख अपनाते हुए कहा कि यदि आगे भी इस मामले में देरी होती है, तो हर्जाने की राशि और बढ़ाई जा सकती है।

यह टिप्पणी इस बात का संकेत है कि अदालत इस मामले को केवल औपचारिक विवाद के रूप में नहीं देख रही, बल्कि सार्वजनिक संपत्ति के उपयोग और उसके नियमों के पालन को लेकर गंभीर रुख अपनाए हुए है। सरकारी जमीन के उपयोग से जुड़े मामलों में पारदर्शिता और निर्धारित प्रक्रिया का पालन करना आवश्यक माना जाता है, और अदालत ने इसी दिशा में अपना रुख स्पष्ट किया।

यूसुफ पठान की ओर से यह भी कहा गया कि वह इस मामले को लेकर कानूनी प्रक्रिया का पालन कर रहे हैं और उन्हें उम्मीद है कि सरकार की नीति के तहत उनका दावा भी अन्य मामलों की तरह स्वीकार किया जाएगा। हालांकि, अदालत ने यह स्पष्ट किया कि नीति के दायरे में आने वाले सभी मामलों का निर्णय तय प्रक्रिया और दस्तावेजी आधार पर ही होगा।

इस मामले ने एक बार फिर सार्वजनिक भूमि के उपयोग और उसके आवंटन से जुड़े नियमों पर चर्चा को तेज कर दिया है। विशेषज्ञों का मानना है कि ऐसे मामलों में समय पर स्पष्टता न होने से विवाद लंबा खिंचता है और दोनों पक्षों को कानूनी प्रक्रिया में समय और संसाधन खर्च करने पड़ते हैं।

फिलहाल, अदालत द्वारा दिए गए चार सप्ताह के समय को इस मामले में एक महत्वपूर्ण अवसर माना जा रहा है, जिसके दौरान यूसुफ पठान को अपने दावे को मजबूत करने या आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे। वहीं अदालत की चेतावनी यह संकेत देती है कि अगली सुनवाई में यदि स्थिति स्पष्ट नहीं हुई, तो उनके खिलाफ वित्तीय दायित्व और बढ़ सकते हैं।

अगली सुनवाई के बाद ही यह तय हो सकेगा कि यह मामला किस दिशा में आगे बढ़ेगा और क्या यूसुफ पठान को इस विवादित भूमि पर कोई राहत मिलती है या उन्हें इसे खाली करने की प्रक्रिया का सामना करना पड़ेगा।

રેડ ક્રોસની સેવાઓ અને કામગીરીને વંદન

"માનવતા એજ સાચો ધર્મ છે" એ મંત્ર પર નિષ્પક્ષ અને તટસ્થ રહી લોકોની સ્વૈચ્છિક સેવા દ્વારા સ્વતંત્ર રીતે સમગ્ર સમાજ માટે કાર્ય કરતી અને વૈશ્વિક ઓળખ ધરાવતી તથા **સમગ્ર ભારતમાં સર્વ શ્રેષ્ઠ રાજ્ય શાખાનો એવોર્ડ જીતનાર ગુજરાત રેડ ક્રોસના ચેરમેન શ્રી અજયભાઇ પટેલ અને સર્વ શ્રેષ્ઠ બ્લડ સેન્ટરનો એવોર્ડ જીતનારી અમદાવાદ રેડ ક્રોસ સંસ્થાના ચેરમેન એમિરેટ્સ શ્રી મુકેશભાઈ પટેલ અને સમગ્ર રેડ ક્રોસ ટીમ**ને વિશ્વ રક્તદાતા દિવસ નિમિતે તેમની ઉત્કૃષ્ટ કામગીરી બદલ અભિનંદન.

ભારતનું સૌથી વિશાળ અને અદ્યતન બ્લડ સેન્ટર

રેડ ક્રોસ-અમદાવાદ

- **100 % સ્વૈચ્છિક રક્તદાન**
- રક્તની અવેજીમાં રક્ત જમા કરાવ્યા વિના રક્ત
- સર્વોચ્ચ ગુણવત્તા વાળુ NAT ટેસ્ટિંગ રક્ત
- ગુજરાતનું સર્વ પ્રથમ એક્સરે ઈરેડિયેશન ધરાવતું બ્લડ સેન્ટર
- AABB 2.0 એક્રેડિટેશન ધરાવતી વિશ્વનું સર્વ પ્રથમ બ્લડ સેન્ટર
- થેલેસેમિયા સિકલસેલ એનેમીયા અને ગરીબ દર્દીઓને નિઃશુલ્ક રક્ત
- સેન્ચુરીયન ડોનર ક્લબમાં 146 શતકવીર રક્તદાતાઓ
- 5 મહિલા શતકવીર રક્તદાતા
- 2 સેન્ચુરીયન રક્તદાતા દંપતી
- 3 ડબલ સેન્ચુરીયન રક્તદાતા
- થેલેસેમિયા મેજર 1250 થી વધુ બાળકોની સંભાળ

રેડ ક્રોસ - ગુજરાત

- 33 જિલ્લા અને 98 તાલુકા શાખા
- 26 બ્લડ સેન્ટર
- વર્ષ 2025-26માં 200000થી વધુ સ્વૈચ્છિક રક્તદાન સમગ્ર ગુજરાતના 20% રક્ત રેડ ક્રોસ દ્વારા એકત્રિત કરાયું
- 75 બ્લડ સ્ટોરેજ સેન્ટર
- બ્લડ મોબાઈલ વેન
- થેલેસેમિયા અને સિકલસેલ પ્રિવેન્શન પ્રોગ્રામ હેઠળ 42 લાખ થી વિદ્યાર્થીઓની તપાસ
- સર્વાઈકલ કેન્સર અને સ્તન કેન્સર માટે 20,000 કરતા વધુ મહિલાઓની તપાસ
- 88 પ્રધાન મંત્રી જન ઔષધિ કેન્દ્રો
- 17 ફિઝિયોથેરાપી સેન્ટર
- 12 ડેન્ટલ ક્લિનિક
- 15 રાહત દરે પેથોલોજી લેબોરેટરી
- 34000 ડિઝાસ્ટર મેનેજમેન્ટ સ્વયંસેવકો
- 500000 થી વધુ ફર્સ્ટ એડ ટ્રેઇનિંગ
- 400000 થી વધુ જુનિયર રેડ ક્રોસ અને યુથ રેડ ક્રોસ મેમ્બર્સ
- વાત્સલ્ય સિનિયર સીટીઝન હોમ
- આર્ટીફીસીયલ લિમ્બ સેન્ટર
- 5000 થી વધુ થેલેસેમિયા બાળકો ની સારવાર

•15 બ્લડ સેન્ટર NABH એક્રેડિટેશન

INDIAN RED CROSS SOCIETY
GUJARAT STATE BRANCH
Blood Bank and Much More

છેલ્લા 63 વર્ષમાં અમદાવાદ માં 63.05 લાખ યુનિટ રક્ત એકત્રિત કરવામાં આવ્યું

Red Cross Bhavan, Near Khadi Gram Udhyog Board,
Ashram Road, Old Wadaj, Ahmedabad - 380013.

संपादकीय

महंगा होता इलाज

ऐसे वक्त में जब महंगाई के कारण जीवनयापन कठिन हो रहा है, नेशनल फार्मास्युटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी यानी एन.पी.पी.ए. द्वारा कुछ जीवनरक्षक दवाओं की कीमतों में वृद्धि की इजाजत देना कमजोर वर्गों के लिए 'कंगाली में आटा गीला होना' जैसा है। एन.पी.पी.ए. द्वारा जिन दवाओं की कीमतों में बढ़ोतरी की इजाजत दी गई है, उनमें कुछ कैंसर की दवाएं, एंटी-टेटनस सीरम और बच्चों के टीकों की कीमतों में पचास प्रतिशत की वृद्धि शामिल है। निश्चय ही यह फैसला पब्लिक हेल्थ पॉलिसी से जुड़ी विसंगतियों को दर्शाता है। निस्संदेह, भारत जैसे देश में जरूरी दवाओं को सस्ता रखना बेहद जरूरी है, जहां बहुत से परिवार इलाज का खर्च अपनी जेब से उठाते हैं। वहीं दूसरी ओर, यह भी जरूरी है कि जीवनरक्षक दवाओं की बाजार में सहज उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। बहुत संभव है कि अमेरिका-ईरान युद्ध संकट से बाधित आपूर्ति श्रृंखला के चलते कुछ दवाइयों व टीकों की कीमतों में बढ़ोतरी को तार्किक बताया जाए, लेकिन चिकित्सा व्यवस्था में अमीर-गरीब की आर्थिक क्षमता को लेकर उठने वाले सवाल न्यायसंगत ही कहे जाएंगे। दरअसल, एन.पी.पी.ए. ने दवाओं की कमी और बढ़ती लागत को कीमत वृद्धि का कारण बताया है। दलील दी गई कि यदि दवा बनाने वाली कंपनियां इनकी उत्पादन लागत नहीं निकाल पाती हैं तो वे खुले बाजार में इन दवाइयों की आपूर्ति बंद कर सकती हैं। लेकिन इसके बावजूद गरीब तबके की सीमाओं और आर्थिक स्थिति का भी ध्यान रखा जाना चाहिए। बहरहाल, इस बाबत दी गई दलीलों के बावजूद एक सच्चाई को छिपाया नहीं जा सकता कि इस देश में करोड़ों लोग बुनियादी स्वास्थ्य सेवाओं का खर्च उठाने के लिए संघर्ष करते हैं। निर्विवाद रूप से कैंसर के इलाज और बच्चों को बीमारियों से बचाने वाली दवाइयों की कीमतों में पचास फीसदी बढ़ोतरी आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को गहरे आर्थिक संकट में डाल सकती हैं। मरीजों के लिए इलाज के खर्च में दवाओं के अलावा, रोग की जांच, दूर-दराज के क्षेत्रों से बड़े अस्पतालों तक की यात्रा, अस्पताल में भर्ती होने का खर्च तथा इस दौरान होने वाली आय की हानि भी शामिल होती है। ऐसे में दवाओं की कीमतों में वृद्धि का अतिरिक्त बोझ उन्हें इलाज और जीवित रहने के बीच कई मुश्किल फैसले लेने को मजबूर कर सकता है। इसका समाधान किफायती होने और उपलब्धता के बीच चयन करने में नहीं है, बल्कि एक ऐसा तंत्र विकसित करने में है, जो दोनों की सुरक्षा सुनिश्चित कर सके। सरकार को सरकारी अस्पतालों के लिए दवा खरीद व्यवस्था को पारदर्शी व मजबूत बनाने की जरूरत है। उसे सरकारी अस्पतालों के जरिये बिना किसी बाधा के दवाइयों की आपूर्ति सुनिश्चित करनी चाहिए। साथ ही, स्वास्थ्य बीमा योजनाओं में जरूरी दवाइयों को भी शामिल करना चाहिए, जिससे खास सब्सिडी के जरिये गरीब मरीजों को अचानक कीमतों में बढ़ोतरी से बचाया जा सके। इसके अलावा, दवाइयों की कीमतों से जुड़ी नीतियों की समय-समय पर समीक्षा भी होनी चाहिए, जिससे पता चल सके कि वास्तव में दवाइयों की लागत में कितनी वृद्धि हुई है।

मानवता ने चुकाई महत्वाकांक्षी युद्धों की कीमत

> "अमेरिका-ईरान युद्ध से यूं तो पूरी दुनिया प्रभावित है, लेकिन विकासशील अर्थव्यवस्थाएं गहरे तक प्रभावित हो रही हैं। सदियों से महाशक्तियों की महत्वाकांक्षा का खमियाजा वे लोग भुगतते हैं, जिनकी युद्ध में कोई भूमिका नहीं होती।

पिछले तीन वर्षों से अधिक समय से विश्व अलग-अलग क्षेत्रों में युद्ध की विभीषिका झेल रहा है। रूस-यूक्रेन युद्ध के चलते दोनों देशों की संपत्ति और विश्व आपूर्ति श्रृंखला को नुकसान हुआ। दुनिया की अर्थव्यवस्था लड़खड़ाई और श्रम शक्ति का विस्थापन हुआ। लेकिन लड़ाई समाप्त होने का नाम नहीं ले रही।

पश्चिमी एशिया में अमेरिका, इस्राइल और ईरान के बीच जारी तनाव और अस्थिर संघर्ष, भले ही टलने की स्थिति में दिखे, लेकिन यह मानवता के लिए गंभीर क्षति पहुंचा रहा है। साथ ही चीन-ताइवान तनाव से एक और वैश्विक युद्ध का खतरा बढ़ता दिखता है। यदि यह संघर्ष भारत की सीमाओं तक पहुंचा, तो न केवल विश्व अर्थव्यवस्था प्रभावित होगी, बल्कि भारत भी तमाम आर्थिक चुनौतियों का सामना कर सकता है।

अमेरिका-ईरान युद्ध से यूं तो पूरी दुनिया प्रभावित है, लेकिन विकासशील अर्थव्यवस्थाएं गहरे तक प्रभावित हो रही हैं। यह युद्ध 28 फरवरी को अमेरिका द्वारा खाड़ी स्थित ईरान को परमाणु शक्ति बनने से रोकने और संवर्धित यूरेनियम पर कब्जा करने के कथित लक्ष्य के साथ शुरू हुआ। वास्तव में इस्राइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू का युद्ध में कूदने का उद्देश्य अपनी राजनीतिक सुरक्षा था। अमेरिका ने अपनी शक्ति पर गुमान करते हुए युद्ध छेड़ा, लेकिन इसके परिणामस्वरूप संघर्ष की विभीषिका से पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था चरमरा गई।

इस संघर्ष का परिणाम यह हुआ कि अमेरिका-ईरान युद्ध में 14 देश प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से शामिल हो गए, क्योंकि खाड़ी देशों में अमेरिकी सैन्य अड्डे स्थित थे। ईरान ने मिसाइल और ड्रोन से हमले किए। दो महीने बाद शांति वार्ता शुरू हुई, लेकिन दोनों पक्ष बातचीत के लिए तैयार नहीं थे। अमेरिका संवर्धित यूरेनियम पर कब्जा और होर्मुज मार्ग खुलवाना चाहता है, जबकि ईरान के फ्रीज खातों को खोलने और प्रतिबंध हटाने पर सहमति नहीं दे रहा था।

दूसरी ओर, ईरान ने होर्मुज के मुहाने पर नाकाबंदी कर दी है, जिससे तेल और गैस के टैंकर अटक गए हैं। अमेरिका भी ओमान की खाड़ी में नाकाबंदी कर रहा है। इससे दुनिया भर में कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस और उनसे बनने वाले उत्पादों की आपूर्ति का संकट पैदा हुआ है, जिससे तमाम देशों में महंगाई और ऊर्जा संकट उत्पन्न हो गया है।

आर्थिक विश्लेषक कहते हैं कि इस युद्ध के कारण दुनिया को इस समय तक अनुमानित 474 लाख करोड़ रुपये तक का नुकसान हो चुका है। आर्थिक सहयोग और विकास संगठन चेताता है कि अगर यूं ही ऊर्जा आपूर्ति बाधित रही तो पूरी दुनिया की जीडीपी घट जाएगी और रोजगार के अवसर समाप्त हो जाएंगे।

ईरान की परमाणु शक्ति, होर्मुज मार्ग, फ्रीज की गई संपत्तियां और लेबनान में हिज्बुल्लाह से जुड़े मुद्दे शांति स्थापना में प्रमुख बाधाएं हैं। यद्यपि अमेरिका और ईरान ने युद्धविराम बढ़ाया था, फिर भी परमाणु कार्यक्रम और फ्रीज फंडों को लेकर दोनों के मतभेद लंबे समय तक बने रहे। इन विवादों के कारण संघर्ष पूरी तरह समाप्त नहीं हो पा रहा था।

विश्व की शक्तियों को समझना चाहिए कि युद्ध को लंबे समय तक नहीं चलाया जा सकता। अमेरिकी संसद बार-बार कहती रही है कि यह युद्ध तुरंत बंद होना चाहिए लेकिन ट्रम्प अपनी विजेता की छवि बनाकर ही इस युद्ध से निकलना चाह रहे थे, जो तत्काल संभव नजर नहीं आता था। ईरान ने अमेरिका जैसी महाशक्ति और इस्राइल की एकजुटता से मुश्किल लड़ाई लड़ी है, लेकिन अमेरिका का लगातार प्रतिरोध किया है। किसी भी समाधान के लिए दोनों पक्षों को लचीलापन दिखाना चाहिए, ताकि युद्ध की विभीषिका खत्म हो। तभी विश्व की आपूर्ति श्रृंखला को सामान्य बनाया जा सकता है।

यह भी हकीकत है कि पाकिस्तान और कतर के बैक-चैनल प्रयास तक अमेरिका–ईरान टकराव का समाधान समय रहते खत्म कर पाये। जिससे काफी समय तक सीमित युद्ध और होर्मुज नाकाबंदी जारी रही। जिसके कारण दुनिया आर्थिक संकट, महंगे ईंधन और ऊर्जा की कमी जैसी समस्याओं का सामना करती रही। परिणामस्वरूप, वैश्विक स्तर पर आर्थिक अस्थिरता बढ़ती रही ।

वहीं दूसरी ओर आशंका जतायी जा रही है कि इस्राइल–हिज्बुल्लाह की झड़पें लेबनान में बड़े युद्ध का रूप ले सकती हैं। जिसका ईरान लगातार विरोध करता रहा है। यह मुद्दा भी समझौते होने में बाधक बना रहा है।

युद्ध के चलते स्थिति इतनी गंभीर है कि 14 देशों का एयरस्पेस बंद हो गया है, हजारों उड़ानें रद्द या डाइवर्ट हुई हैं, और ईंधन की कीमतें 130 प्रतिशत बढ़ गई हैं। खाड़ी और भारत के यात्रा रूट पर टिकटों की कीमतें भी अप्रत्याशित रूप से बढ़ी हैं। आर्थिक संकट आम आदमी की जीवनशैली पर भारी पड़ रहा है और विकास के लक्ष्य बेअसर हो रहे हैं। इस बीच, हथियार व्यापार और युद्धरत देशों की राजनीति मानवता और शांति के मूल्यों को भूलती नजर आ रही है। इस समय शांति और अहिंसा के संदेश कोरे भाषण लगने लगे हैं।

प्रेरणा

अंधकार को हराने वाली रोशनी का नाम है लक्ष्य

मनुष्य के जीवन में कई बार ऐसी परिस्थितियां आती हैं जब सब कुछ समाप्त होता हुआ दिखाई देता है। रास्ते बंद नजर आते हैं, उम्मीदें टूट जाती हैं और भविष्य धुंधला लगने लगता है। लेकिन इतिहास गवाह है कि जिन लोगों ने इन कठिन परिस्थितियों के सामने हार नहीं मानी, उन्होंने असंभव को संभव करके दिखाया। ऐसे लोगों ने यह सिद्ध किया कि इंसान की असली ताकत उसके शरीर में नहीं, बल्कि उसके मन और उसके लक्ष्य में छिपी होती है। जब जीवन में कोई स्पष्ट उद्देश्य होता है तो सबसे गहरा अंधकार भी व्यक्ति को रोक नहीं पाता। इसी सत्य को अपने जीवन से प्रमाणित करने वाली महान महिला थीं हेलेन केलर, जिनका संघर्ष, साहस और सफलता आज भी करोड़ों लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत है।

अमेरिका के अलाबामा राज्य में जन्मी हेलेन केलर का बचपन सामान्य बच्चों की तरह ही शुरू हुआ था। उनके माता-पिता उन्हें देखकर अनेक सपने संजोते थे। घर में खुशियों का माहौल था और भविष्य की अनेक कल्पनाएं की जा रही थीं। लेकिन नियति ने उनके लिए एक कठिन परीक्षा तैयार कर रखी थी। जब वे केवल उन्नीस महीने की थीं, तब उन्हें एक गंभीर बुखार ने घेर लिया। परिवार को उम्मीद थी कि इलाज के बाद सब कुछ सामान्य हो जाएगा, लेकिन बीमारी अपने पीछे ऐसा असर छोड़ गई जिसने उनके पूरे जीवन की दिशा बदल दी। बुखार के बाद वे न तो देख सकती थीं, न सुन सकती थीं और न ही बोल सकती थीं।

यह स्थिति किसी भी परिवार के लिए असहनीय थी। जब डॉक्टरों ने यह कठोर सच्चाई बताई कि बच्ची अपनी देखने, सुनने और बोलने की शक्ति खो चुकी है, तब माता-पिता पर मानो दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। एक ऐसी बच्ची, जिसके सामने पूरा जीवन पड़ा था, अचानक दुनिया से कट गई। वह लोगों की बातें नहीं सुन सकती थी, चेहरों को नहीं देख सकती थी और अपने मन की बात भी व्यक्त नहीं कर सकती थी। उसके चारों ओर केवल सन्नाटा और अंधकार था।

लेकिन जहां अधिकांश लोग हार मान लेते, वहां हेलेन की मां ने उम्मीद का दामन नहीं छोड़ा। उन्होंने अनेक डॉक्टरों से सलाह ली और हर संभव प्रयास किया कि उनकी बेटी को कोई नया रास्ता मिल सके। इसी खोज ने उन्हें ऐसे लोगों तक पहुंचाया जिन्होंने हेलेन के जीवन में एक नई सुबह ला दी। उनके जीवन में एनी सुलिवन नामक शिक्षिका का प्रवेश हुआ। यह केवल एक अध्यापिका का आगमन नहीं था, बल्कि वह परिवर्तन की शुरुआत थी जिसने दुनिया को एक महान व्यक्तित्व दिया।

एनी सुलिवन ने हेलेन को दया की दृष्टि से नहीं देखा। उन्होंने उनमें संभावनाओं का एक विशाल संसार देखा। उन्होंने समझ लिया कि यदि सही मार्गदर्शन और धैर्य मिले तो यह बच्ची अपने जीवन को नई दिशा दे सकती है। उन्होंने स्पर्श को शिक्षा का माध्यम बनाया। वे वस्तुओं को हेलेन के हाथ में रखतीं और दूसरी हथेली पर उनके नामों के संकेत बनातीं। शुरुआत में यह प्रक्रिया बहुत कठिन थी। हेलेन संकेतों का अर्थ नहीं समझ पाती थीं और कई बार निराश भी हो जाती थीं। लेकिन एनी का धैर्य और हेलेन की जिज्ञासा धीरे-धीरे रंग लाने लगी।

एक दिन पानी के फव्वारे के पास खड़े होकर एनी ने उनकी हथेली पर बहते हुए पानी का स्पर्श कराया और साथ ही उसके नाम का संकेत बनाया। उसी क्षण हेलेन को यह समझ में आया कि हर वस्तु का एक नाम होता है। यह अनुभव उनके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण मोड़ बन गया। ज्ञान का वह छोटा-सा दीपक आगे चलकर एक विशाल प्रकाश में बदल गया जिसने न केवल उनके जीवन को रोशन किया बल्कि दुनिया भर के लाखों लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गया।

इसके बाद हेलेन ने सीखने की ऐसी यात्रा शुरू की, जिसे देखकर दुनिया आश्चर्यचकित रह गई। उन्होंने ब्रेल लिपि सीखी, पढ़ना और लिखना सीखा तथा अनेक भाषाओं का ज्ञान प्राप्त किया। जिस बच्ची को समाज कभी असहाय समझता था, वही आगे चलकर शिक्षा, साहित्य और सामाजिक जागरूकता की प्रतीक बन गई। उन्होंने कई पुस्तकें लिखीं और अपने अनुभवों को शब्दों में ढालकर दुनिया के सामने प्रस्तुत किया।

उनकी सफलता केवल व्यक्तिगत उपलब्धि नहीं थी। उन्होंने अपने जीवन को उन लाखों लोगों के लिए समर्पित कर दिया जो किसी न किसी प्रकार की शारीरिक चुनौतियों का सामना कर रहे थे। उन्होंने दुनिया को यह समझाया कि दिव्यांगता किसी व्यक्ति की क्षमता का अंत नहीं है। सही अवसर, उचित शिक्षा और दृढ़ इच्छाशक्ति के बल पर कोई भी व्यक्ति अपने जीवन को सार्थक बना सकता है। उन्होंने समाज से आग्रह किया कि दिव्यांग व्यक्तियों को दया नहीं, बल्कि समान अवसर और सम्मान दिया जाए।

हेलेन केलर का जीवन हमें यह भी सिखाता है कि कठिनाइयां सफलता की राह में बाधा नहीं, बल्कि सीढ़ियां होती हैं। यदि वे अपनी परिस्थितियों को ही अपनी नियति मान लेतीं, तो शायद दुनिया उनका नाम कभी नहीं जान पाती। लेकिन उन्होंने अपनी कमजोरियों को अपनी ताकत में बदल दिया। उन्होंने उस अंधकार को स्वीकार करने के बजाय उसे चुनौती दी और अंततः उस पर विजय प्राप्त की।

आज के दौर में जब लोग छोटी-छोटी परेशानियों से निराश हो जाते हैं, तब हेलेन की कहानी हमें आत्मविश्वास और धैर्य का महत्व समझाती है। बहुत से लोग संसाधनों की कमी, असफलताओं या परिस्थितियों का बहाना बनाकर अपने सपनों को छोड़ देते हैं। लेकिन हेलेन के जीवन से यह स्पष्ट होता है कि सफलता का संबंध परिस्थितियों से नहीं, बल्कि दृष्टिकोण से होता है। जो व्यक्ति हार मानने के बजाय समाधान खोजता है, वही आगे बढ़ता है।

उनका प्रसिद्ध विचार था कि लक्ष्यहीन होना दृष्टिहीन होने से भी अधिक दुखद है। यह कथन केवल प्रेरक वाक्य नहीं, बल्कि जीवन का गहरा दर्शन है। वास्तव में लक्ष्य ही वह शक्ति है जो व्यक्ति को संघर्ष करने की प्रेरणा देती है। लक्ष्य ही वह प्रकाश है जो अंधकार में भी रास्ता दिखाता है। यदि जीवन में कोई उद्देश्य न हो तो आंखें होते हुए भी मनुष्य भटकता रहता है। लेकिन यदि लक्ष्य स्पष्ट हो तो सीमित साधनों के बावजूद सफलता प्राप्त की जा सकती है।

हेलेन केलर ने यह साबित किया कि मनुष्य की सबसे बड़ी शक्ति उसकी इच्छाशक्ति है। उन्होंने कभी यह नहीं सोचा कि उनके पास क्या नहीं है, बल्कि उन्होंने इस पर ध्यान दिया कि जो है, उसका सर्वोत्तम उपयोग कैसे किया जाए। यही सोच उन्हें असाधारण बनाती है। उन्होंने अपने जीवन से यह संदेश दिया कि असंभव शब्द केवल उन लोगों के लिए होता है जो प्रयास करना छोड़ देते हैं।

गुमनाम पार्टी में क्यों शामिल हुए TMC के नामी सांसद? दलबदल विरोधी नारे वाला दल क्यों बना तृणमूल के बागियों का नया ठिकाना?

तृणमूल कांग्रेस में उठी बगावत ने राष्ट्रीय राजनीति को ऐसा मोड़ दे दिया है जिसकी गूंज आने वाले महीनों तक सुनाई दे सकती है। हम आपको बता दें कि लोकसभा में तृणमूल कांग्रेस के 20 बागी सांसदों ने अचानक एक लगभग गुमनाम दल नेशनलिस्ट सिटिजन्स पार्टी ऑफ इंडिया यानी एनसीपीआई में विलय का ऐलान कर दिया और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से अलग समूह के तौर पर मान्यता तथा सदन में अलग बैठने की मांग कर डाली। इस घटनाक्रम ने केवल बंगाल की राजनीति को नहीं हिलाया, बल्कि दलबदल कानून, विपक्ष की एकजुटता और संसद की शक्ति संतुलन की बहस को भी फिर से केंद्र में ला खड़ा किया है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि जिस एनसीपीआई में यह विलय हुआ है, उसका अब तक का राजनीतिक अस्तित्व लगभग नगण्य रहा है। 2023 के त्रिपुरा विधानसभा चुनाव में इस दल ने चार उम्मीदवार उतारने की घोषणा की थी, लेकिन आखिरकार तीन सीटों पर ही चुनाव लड़ पाया। पार्टी के उम्मीदवारों का प्रदर्शन इतना कमजोर रहा कि वे कई जगह नोटा से थोड़ा ही आगे निकल सके। त्रिपुरा की चावमानु सीट पर पार्टी उम्मीदवार बरजेदा त्रिपुरा को केवल 536 वोट मिले, जबकि नोटा को 500 वोट प्राप्त हुए। कैलाशहर सीट पर पार्टी को मात्र 286 वोट मिले। कुल मिलाकर दो सीटों पर एनसीपीआई को सिर्फ 822 वोट हासिल हुए थे। खास बात यह भी है कि इस पार्टी का चुनाव चिह्न 'पेन की निब' है और इसने नारा दिया था, "अपने अधिकारों की रक्षा के लिए दलबदलुओं को नकारें।" लेकिन राजनीति की विडंबना देखिए कि अब वही दल देश के सबसे चर्चित दलबदल का मंच बन गया है। वैसे इस पूरे घटनाक्रम के पीछे केवल नाराजगी नहीं, बल्कि गहरी राजनीतिक रणनीति दिखाई दे रही है। बागी सांसदों का मकसद सीधे भाजपा में जाना नहीं, बल्कि पहले एक अलग राजनीतिक पहचान बनाकर दलबदल कानून से बचना माना जा रहा है। हम आपको बता दें कि संविधान की दसवीं अनुसूची के तहत यदि किसी दल के दो तिहाई विधायक या सांसद किसी दूसरे दल में विलय करते हैं, तो उन्हें अयोग्यता से राहत मिल सकती है। इसी कानूनी रास्ते का इस्तेमाल करते हुए बागी गुट खुद को "असली तृणमूल" साबित करने की जमीन तैयार कर रहा है। तृणमूल के वरिष्ठ सांसद सुदीप बंद्योपाध्याय ने साफ कहा है कि अभी उन्होंने एनसीपीआई में विलय किया है, लेकिन संसद का अगला सत्र शुरू होने पर वह तृणमूल नाम और पहचान पर दावा करेंगे। उनका कहना है कि दो तिहाई सांसद उनके साथ हैं, इसलिए वास्तविक राजनीतिक अधिकार भी उसी गुट के पास होना चाहिए। दूसरी ओर, टीएमसी के महासचिव अभिषेक बनर्जी ने लोकसभा अध्यक्ष को पत्र लिखकर इस दावे को सिरे से खारिज कर दिया। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के महाराष्ट्र राजनीतिक संकट वाले फैसले का हवाला देते हुए कहा कि केवल विधायी दल का टूटना पर्याप्त नहीं होता, मूल राजनीतिक दल का विलय भी जरूरी है।

देखा जाये तो यही वह बिंदु है जहां यह लड़ाई केवल संख्या की नहीं, बल्कि कानूनी और संवैधानिक व्याख्या की बन जाती है। तृणमूल कांग्रेस का तर्क है कि पार्टी सर्वोपरि है, सांसद नहीं। जबकि बागी गुट संख्या बल के आधार पर वैधता चाहता है। इस टकराव का अंतिम फैसला अब अदालत और लोकसभा अध्यक्ष की व्याख्या पर निर्भर करेगा।

हम आपको यह भी बता दें कि इस घटनाक्रम की तुलना 2016 के अरुणाचल प्रदेश संकट से भी की जा रही है। तब कांग्रेस के अधिकांश विधायक पहले पीपुल्स पार्टी ऑफ अरुणाचल में गए और बाद में भाजपा में शामिल हो गए थे। उसी रास्ते ने भाजपा को पूर्वोत्तर में पहली पूर्ण सरकार दी थी। अब तृणमूल के भीतर भी वैसी ही पटकथा दिखाई दे रही है। फर्क सिर्फ इतना है कि इस बार दांव बंगाल की सबसे बड़ी विपक्षी शक्ति पर लगा है। राजनीतिक दृष्टि से देखें तो यह ममता बनर्जी के नेतृत्व के लिए सबसे बड़ा झटका माना जाएगा। बंगाल में भाजपा लगातार तृणमूल कांग्रेस को घेरने की कोशिश कर रही है और अब यदि लोकसभा में पार्टी का बड़ा हिस्सा अलग खड़ा हो जाता है, तो विपक्षी राजनीति में ममता की राष्ट्रीय भूमिका कमजोर पड़ सकती है। खासकर ऐसे समय में जब विपक्षी एकता की राजनीति पहले ही बिखराव का शिकार है। दूसरी ओर, भाजपा के लिए यह घटनाक्रम अप्रत्यक्ष राजनीतिक लाभ लेकर आ सकता है। बागी सांसदों ने पहले ही राजग को समर्थन देने के संकेत दिए हैं। यदि यह समीकरण आगे बढ़ता है, तो संसद में सत्ता पक्ष की स्थिति और मजबूत हो सकती है। सबसे तीखी चोट हालांकि राजनीति की नैतिकता पर पड़ती दिखाई देती है। जिस दल ने दलबदलुओं को नकारने का नारा दिया था, वही अब दलबदल की सबसे बड़ी प्रयोगशाला बन गया है। यह भारतीय राजनीति का वह चेहरा है, जहां विचारधारा से ज्यादा महत्व संख्या, सत्ता और कानूनी चालों का रह गया है। छोटे दल अब केवल चुनाव लड़ने के मंच नहीं, बल्कि राजनीतिक पुनर्जन्म के औजार बनते जा रहे हैं। तृणमूल कांग्रेस की यह टूटन आने वाले दिनों में केवल बंगाल की राजनीति नहीं बदलेगी, बल्कि यह तय करेगी कि देश में दलबदल कानून की असली ताकत कितनी बची है। संसद, अदालत और चुनाव आयोग, तीनों की अग्निपरीक्षा अब शुरू हो चुकी है।

अभियान

अमावस्या का अंधकार नहीं, आत्मप्रकाश का उत्सव

भारतीय संस्कृति और सनातन धर्म की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यहां प्रत्येक पर्व और तिथि केवल धार्मिक अनुष्ठानों तक सीमित नहीं है, बल्कि उसके पीछे गहन आध्यात्मिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक संदेश छिपा होता है। हमारे ऋषि-मुनियों ने समय के प्रत्येक महत्वपूर्ण पड़ाव को मानव जीवन के विकास और आत्मकल्याण से जोड़कर देखा। इन्हीं विशेष तिथियों में अमावस्या का स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है। सामान्य रूप से लोग अमावस्या को चंद्रमा के अदृश्य होने की रात्रि के रूप में जानते हैं, किंतु भारतीय दर्शन में इसका अर्थ कहीं अधिक व्यापक और गहरा है। यह केवल खगोलीय घटना नहीं, बल्कि आत्ममंथन, आत्मशुद्धि, कृतज्ञता, सेवा और आध्यात्मिक जागरण का अवसर है। जब यही अमावस्या सोमवार के दिन आती है, तब उसका महत्व और भी अधिक बढ़ जाता है और उसे सोमवती अमावस्या कहा जाता है।

सनातन परंपरा में सोमवार भगवान शिव का प्रिय दिन माना गया है। भगवान शिव को कल्याण, त्याग, तपस्या और आत्मबोध का प्रतीक माना जाता है। दूसरी ओर अमावस्या पितरों के स्मरण, आत्मनिरीक्षण और आध्यात्मिक साधना की तिथि मानी जाती है। जब सोमवार और अमावस्या का यह दुर्लभ संयोग बनता है, तब श्रद्धालु इसे विशेष पुण्यकारी मानते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन किया गया जप, तप, दान, स्नान और पूजा कई गुना फलदायी होता है। यही कारण है कि देश के विभिन्न भागों में सोमवती अमावस्या को अत्यंत श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया जाता है।

इस वर्ष यह तिथि और भी विशेष मानी जा रही है क्योंकि यह अधिमास या पुरुषोत्तम मास के अंतिम दिन के रूप में आ रही है। अधिमास को भगवान विष्णु का प्रिय मास माना जाता है। सनातन धर्म में यह मास भक्ति, साधना, सेवा और आत्मशुद्धि के लिए समर्पित माना जाता है। जब इस पवित्र मास का समापन सोमवती अमावस्या जैसे पुण्यदायी योग में होता है, तब उसका आध्यात्मिक महत्व और अधिक बढ़ जाता है। श्रद्धालुओं का विश्वास है कि इस दिन भगवान शिव और भगवान विष्णु दोनों की कृपा प्राप्त होती है तथा व्यक्ति को अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन का अवसर मिलता है।

अमावस्या का सबसे बड़ा संदेश आत्मचिंतन है। पूर्णिमा की रात्रि में चंद्रमा अपने पूर्ण प्रकाश के साथ दिखाई देता है, जबकि अमावस्या में वह पूरी तरह अदृश्य हो जाता है। भारतीय दर्शन इस स्थिति को मानव जीवन से जोड़कर देखता है। जैसे अमावस्या का अंधकार हमें प्रकाश के महत्व का बोध कराता है, उसी प्रकार जीवन की चुनौतियां और कठिनाइयां हमें अपने भीतर झांकने का अवसर देती हैं। यह तिथि हमें अपने कर्मों, विचारों और व्यवहार का मूल्यांकन करने के लिए प्रेरित करती है। हम अपने जीवन में क्या सही कर रहे हैं और किन क्षेत्रों में सुधार की आवश्यकता है, इसका चिंतन करने का यह उपयुक्त समय माना गया है।

आज के आधुनिक युग में मनुष्य बाहरी उपलब्धियों के पीछे इतना व्यस्त हो गया है कि उसे स्वयं के लिए समय नहीं मिल पाता। वह धन, पद और प्रतिष्ठा प्राप्त करने के प्रयास में लगा रहता है, लेकिन अपने भीतर के संसार को समझने का अवसर नहीं निकाल पाता। सोमवती अमावस्या का संदेश यही है कि बाहरी सफलता के साथ-साथ आंतरिक संतुलन भी आवश्यक है। यदि मन अशांत है, विचार नकारात्मक हैं और जीवन में संतुलन नहीं है, तो भौतिक उपलब्धियां भी स्थायी सुख नहीं दे सकतीं। इसलिए यह तिथि हमें स्वयं से संवाद करने और अपने भीतर की आवाज सुनने की प्रेरणा देती है।

सनातन धर्म में इस दिन पितरों के स्मरण का विशेष महत्व बताया गया है। भारतीय संस्कृति सदैव कृतज्ञता की भावना को महत्व देती रही है। हमारे माता-पिता, पूर्वज और गुरु हमारे जीवन की नींव होते हैं। उन्होंने अपने परिश्रम, त्याग और अनुभवों से आने वाली पीढ़ियों का मार्ग प्रशस्त किया है। अमावस्या के दिन पितरों का तर्पण और स्मरण करना केवल धार्मिक परंपरा नहीं है, बल्कि यह कृतज्ञता व्यक्त करने का एक माध्यम भी है। जब हम अपने पूर्वजों को याद करते हैं, तो हम अपनी जड़ों से जुड़ते हैं और यह समझते हैं कि हमारा अस्तित्व केवल हमारे व्यक्तिगत प्रयासों का परिणाम नहीं है, बल्कि अनेक पीढ़ियों के योगदान का फल है।

सोमवती अमावस्या का एक महत्वपूर्ण पक्ष दान और सेवा भी है। भारतीय दर्शन में दान को केवल वस्तु देने की क्रिया नहीं माना गया, बल्कि इसे मनुष्य के भीतर करुणा और संवेदनशीलता विकसित करने का साधन माना गया है। इस दिन अन्न, जल, वस्त्र, फल, छाता, जूते और अन्य आवश्यक वस्तुओं का दान करने की परंपरा है। गौ-सेवा, निर्धनों की सहायता और जरूरतमंदों के प्रति सहयोग की भावना को भी विशेष महत्व दिया गया है। वास्तव में दान का उद्देश्य केवल किसी की सहायता करना नहीं, बल्कि अपने भीतर के अहंकार को कम करना और समाज के प्रति उत्तरदायित्व का भाव विकसित करना है।

आज जब समाज में भौतिकवाद बढ़ रहा है और व्यक्ति केवल अपने हितों तक सीमित होता जा रहा है, तब ऐसे पर्व हमें सामूहिक कल्याण की भावना का स्मरण कराते हैं। सेवा और परोपकार के बिना समाज में संतुलन स्थापित नहीं हो सकता। इसलिए सोमवती अमावस्या हमें यह सिखाती है कि जीवन का वास्तविक आनंद केवल प्राप्त करने में नहीं, बल्कि बांटने में भी है।

इस दिन पवित्र नदियों में स्नान करने की परंपरा भी विशेष महत्व रखती है। गंगा, यमुना, नर्मदा, गोदावरी, कावेरी और शिप्रा जैसी नदियों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ती है। धार्मिक दृष्टि से यह स्नान पापों से मुक्ति और पुण्य की प्राप्ति का माध्यम माना जाता है। किंतु इसका एक गहरा सांकेतिक अर्थ भी है। जल को भारतीय संस्कृति में शुद्धता और जीवन का प्रतीक माना गया है। जब व्यक्ति श्रद्धा और संकल्प के साथ स्नान करता है, तो वह केवल शरीर की शुद्धि नहीं करता, बल्कि अपने मन और विचारों को भी पवित्र बनाने का प्रयास करता है।

सोमवती अमावस्या के अवसर पर पीपल वृक्ष की पूजा का भी विशेष महत्व बताया गया है। शास्त्रों में पीपल को ब्रह्मा, विष्णु और महेश का स्वरूप माना गया है। उसकी परिक्रमा करना केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि प्रकृति के प्रति सम्मान और संरक्षण का संदेश भी है। भारतीय संस्कृति ने सदैव वृक्षों, नदियों और प्रकृति के अन्य तत्वों को पूजनीय माना है। इसका उद्देश्य मनुष्य और प्रकृति के बीच संतुलन बनाए रखना था। आज जब पर्यावरणीय संकट पूरी दुनिया के सामने चुनौती बनकर खड़ा है, तब यह परंपरा और भी प्रासंगिक प्रतीत होती है।

धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नान करना शुभ माना जाता है। यदि किसी पवित्र नदी में स्नान संभव न हो तो घर में गंगाजल मिलाकर स्नान किया जा सकता है। इसके पश्चात भगवान शिव का अभिषेक कर 'ॐ नमः शिवाय' मंत्र का जाप करना चाहिए। भगवान विष्णु की आराधना, विष्णु सहस्रनाम का पाठ, गीता का अध्ययन तथा पुरुषोत्तम माहात्म्य का श्रवण भी अत्यंत लाभकारी माना गया है। किंतु इन सभी अनुष्ठानों का वास्तविक उद्देश्य केवल कर्मकांड नहीं, बल्कि मन को ईश्वर की ओर उन्मुख करना है।

इस दिन व्यक्ति को क्रोध, विवाद, कटु वचन और नकारात्मक व्यवहार से बचने का प्रयास करना चाहिए। ईर्ष्या, द्वेष, छल और कपट जैसी प्रवृत्तियां मनुष्य के भीतर अशांति उत्पन्न करती हैं। यदि कोई व्यक्ति बाहरी पूजा तो करता है, लेकिन अपने व्यवहार में सुधार नहीं लाता, तो आध्यात्मिक साधना अधूरी रह जाती है। इसलिए सोमवती अमावस्या का वास्तविक संदेश आचरण की शुद्धता है। यह तिथि हमें बताती है कि धर्म केवल मंदिरों और अनुष्ठानों तक सीमित नहीं है, बल्कि वह हमारे विचारों, व्यवहार और जीवनशैली में भी दिखाई देना चाहिए।

PRGI NO. GUJHIN/2011/39228 Printed, Published & Owned by AJAYKUMAR RAMANLAL PRAJAPATI and Printed By (1) JIGNESH RASHIKBHAI GAJJAR at Vansh Corporation, A/8, Shayona Golden Estate, Shahibag, Ahmedabad - 380 004
(2) DESAI RAHUL MAHESHBHAI at Bhavani Offset, "Bhatiya Ni Wadi, Opp Kalupur Railway Station, Kalupur, Ahmedabad-380 002. (3) HARDIK MAHESHBHAI DESAI at Bhoomi Offset, "Bhatiya Ni Wadi, Opp Kalupur Railway Station, Kalupur, Ahmdabad-380 002
and Published from TF-01, Nanakram Super Market, Ramnagar, Sabarmati, Ahmedabad - 380 005. Editor : MANOJKUMAR CHAMPAKLAL SHAH
Rage.Office: TF-01, Nanakram Super Market, Ramnagar, Sabarmati, Ahmedabad - 380 005 Gujarat,India. Phone : (O) 9016333307(M)9328333307,9825333307
Email : garvigujarat2007@gmail.com*garvigujarat2007@yahoo.com*Website : www.garvigujarat.co.in

पश्चिम रेलवे के छह रेलकर्मी महाप्रबंधक संरक्षा पुरस्कार से सम्मानित

मुंबई सेंट्रल, वडोदरा, अहमदाबाद एवं राजकोट मंडलों के कर्मचारियों को मिला महाप्रबंधक संरक्षा पुरस्कार

पश्चिम रेलवे के महाप्रबंधक श्री रामाश्रय पाण्डेय ने मुंबई स्थित पश्चिम रेलवे मुख्यालय में आयोजित समारोह में अप्रैल 2026 के लिए छह रेलकर्मियों को महाप्रबंधक के "मैन ऑफ द मंथ" संरक्षा पुरस्कार से सम्मानित किया। इन कर्मचारियों को उनकी असाधारण सतर्कता, कर्तव्यनिष्ठा एवं समर्पण के लिए सम्मानित किया गया, जिनके कारण संभावित अप्रिय घटनाओं को टाला जा सका तथा सुरक्षित रेल परिचालन सुनिश्चित हुआ। पुरस्कार प्राप्त करने रेलकर्मियों में मुंबई सेंट्रल एवं वडोदरा मंडल के दो-दो तथा अहमदाबाद एवं राजकोट मंडल के एक-एक कर्मचारी शामिल हैं।

पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी श्री विनीत अभिषेक द्वारा जारी एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, मुंबई सेंट्रल मंडल के दो कर्मचारियों, श्री विकास कुमार, गुड्स ट्रेन मैनेजर तथा श्री संजय कुमार, फिटर को उनकी असाधारण सतर्कता एवं त्वरित कार्रवाई के लिए सम्मानित किया गया।

श्री विकास कुमार की कर्तव्यनिष्ठा एवं सतर्कता का एक उल्लेखनीय उदाहरण उस समय सामने आया जब वे भुसावल स्टेशन पर एक मालगाड़ी का चार्ज ले रहे थे। ट्रेन की जांच के दौरान उन्होंने कोयले से लदे एक वैगन से धुआं निकलते हुए देखा और तत्काल संबंधित अधिकारियों को इसकी सूचना दी। उन्होंने प्रभावित वैगन को ट्रेन से अलग करने का सुझाव दिया तथा आग बुझाने के कार्य में सक्रिय रूप से सहयोग भी किया। उनकी समय पर की गई कार्रवाई से आग पूरे रैक में फैलने से रुक गई, जिससे रेलवे की बहुमूल्य संपत्ति सुरक्षित रही और एक बड़ी दुर्घटना टल गई।

इसी प्रकार, श्री संजय कुमार ने वसई रोड स्टेशन पर एक मालगाड़ी की रोलिंग-इन जांच के दौरान एक वैगन के पहियों से असामान्य आवाज़ सुनी। आगे की जांच में पहियों में गंभीर दोष एवं फ्लैट स्पॉट पाए गए। तत्परता से उस वैगन को सिक घोषित किया गया तथा उसके दोषपूर्ण पहियों को बदल दिया गया। उनकी सतर्कता से संभावित दुर्घटना टल गई और सुरक्षित रेल परिचालन सुनिश्चित हुआ।

अन्य मंडलों के कर्मचारियों को भी उनकी सूझबूझ, सतर्कता एवं संरक्षा संबंधी जोखिमों की समय रहते पहचान कर त्वरित कार्रवाई करने के लिए सम्मानित किया गया। उनके सराहनीय कार्यों में संरक्षा मानकों का पालन सुनिश्चित करना, समय रहते कार्रवाई कर ओवरहेड उपकरणों को क्षति से बचाना, रोलिंग स्टॉक में गंभीर तकनीकी दोषों का पता लगाना तथा ट्रैक निरीक्षण के दौरान रेल फ्रैक्चर की पहचान करना शामिल है। उनकी त्वरित एवं प्रभावी कार्रवाई ने पश्चिम रेलवे के विभिन्न मंडलों में सुरक्षित रेल परिचालन बनाए रखने में महत्वपूर्ण योगदान दिया।

पश्चिम रेलवे सभी पुरस्कार विजेताओं की कर्तव्यनिष्ठा, व्यावसायिक दक्षता एवं संरक्षा के प्रति उनकी दृढ़ प्रतिबद्धता की सराहना करती है। उनके सराहनीय प्रयासों से न केवल संभावित अप्रिय घटनाओं को टाला जा सका, बल्कि सुरक्षित एवं विश्वसनीय रेल परिचालन सुनिश्चित करने के प्रति पश्चिम रेलवे की अटूट प्रतिबद्धता भी और अधिक सुदृढ़ हुई है। उनके उत्कृष्ट कार्य सभी रेल कर्मचारियों के लिए प्रेरणास्रोत हैं।

वडोदरा मंडल के करचिया यार्ड में व्यापक यार्ड सुधार, ट्रैक संरक्षा और परिचालन दक्षता होगी बेहतर

पश्चिम रेलवे के वडोदरा मंडल के इंजीनियरिंग विभाग द्वारा करचिया यार्ड में व्यापक यार्ड सुधार एवं जल निकासी उन्नयन कार्यों को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। इस महत्वपूर्ण परियोजना से यार्ड की संरक्षा, अनुरक्षण क्षमता, परिचालन दक्षता तथा विश्वसनीयता में उल्लेखनीय सुधार हुआ है।

पश्चिम रेलवे के वडोदरा मंडल के जनसंपर्क अधिकारी श्री अनुभव सक्सेना द्वारा जारी एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार करचिया यार्ड में ट्रेनों की प्राप्ति, प्रेषण, स्टेबलिंग, शंटिंग तथा अनुरक्षण संबंधी गतिविधियां संचालित की जाती हैं। पिछले कुछ वर्षों से यार्ड के दक्षिणी भाग में गंभीर जलभराव की समस्या उत्पन्न होती रही, जिसके कारण अनेक बार सिग्नल विफलता जैसी परिचालन संबंधी कठिनाइयाँ सामने आईं। इन चुनौतियों के समाधान हेतु पश्चिम रेलवे के वडोदरा मंडल के इंजीनियरिंग विभाग द्वारा एक समग्र यार्ड सुधार कार्यक्रम किया गया, जिसके अंतर्गत ट्रैक नवीनीकरण, बैलेस्ट पुनर्वास, स्लीपर प्रतिस्थापन, जल निकासी सुधार तथा ट्रैक ज्यामिति सुधार से संबंधित अनेक कार्य किए गए।

प्रमुख कार्यों के अंतर्गत कुल 837.54 ट्रैक मीटर लंबाई में ट्रैक का नवीनीकरण किया गया। लॉन्ग डेड एंड, सिक लाइन संख्या 24, लाइन संख्या 8A एवं 8B डेड एंड तथा लाइन संख्या 1 जीआर गोलाई सहित विभिन्न स्थानों पर पुराने ट्रैक हटाकर नए ट्रैक एवं बैलेस्ट का प्रावधान किया गया। 28 पॉइंट्स एवं क्रॉसिंग्स तथा 6,586 ट्रैक मीटर साधारण ट्रैक की डीप स्क्रीनिंग की गई। फाउल्ड बैलेस्ट को हटाकर जल निकासी क्षमता एवं ट्रैक की स्थिरता में सुधार किया गया। लूप लाइनों, सिक लाइनों, टर्नआउट क्षेत्रों एवं कनेक्टिविटी ट्रैकों में कुल 6,586 पीएससी स्लीपरों का नवीनीकरण किया गया।

इसके अतिरिक्त 4,355.60 ट्रैक मीटर क्षेत्र में व्यवस्थित लिफ्टिंग एवं पैकिंग द्वारा ट्रैक ज्यामिति में सुधार किया गया। जल निकासी को बेहतर बनाने हेतु 1,129.70 मीटर लंबाई में महत्वपूर्ण स्थानों पर सेस लोअरिंग कार्य किया गया। 1.5 लाख लीटर क्षमता वाले सम्प (Sump) का निर्माण किया गया।

वर्षा जल की प्रभावी निकासी हेतु 200 मीटर आरसीसी नालियों का निर्माण किया गया।

इस समेकित सुधार कार्यक्रम से करचिया यार्ड की भौतिक स्थिति एवं जल निकासी व्यवस्था में व्यापक सुधार हुआ है। इन कार्यों से जलभराव की समस्या में प्रभावी कमी आएगी। सिग्नलिंग प्रणाली की विश्वसनीयता बढ़ेगी। ट्रैक संरक्षा एवं परिचालन दक्षता में सुधार होगा। अनुरक्षण आवश्यकताओं में कमी आएगी। रेलवे परिसंपत्तियों की आयु एवं प्रदर्शन में वृद्धि होगी। मानसून के दौरान यार्ड संचालन अधिक सुरक्षित एवं सुचारु रहेगा।

पश्चिम रेलवे के वडोदरा मंडल द्वारा किए गए ये कार्य रेलवे अवसंरचना के आधुनिकीकरण, सुरक्षित परिचालन तथा उत्कृष्ट सेवा प्रदान करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हैं।

महाप्रबंधक पश्चिम रेलवे द्वारा अहमदाबाद मंडल के कर्मचारी रामराज मीणा संरक्षा पुरस्कार से सम्मानित

पश्चिम रेलवे के महाप्रबंधक श्री रामाश्रय पाण्डेय ने अहमदाबाद मंडल के कर्मचारी श्री रामराज मीणा को उनके उत्कृष्ट कार्य, सतर्कता एवं सुरक्षित ट्रेन संचालन में महत्वपूर्ण योगदान के लिए "मैन ऑफ द मन्थ" (अप्रैल–2026) संरक्षा पुरस्कार से सम्मानित किया।

श्री रामराज मीणा, गांधीधाम के बीजी यार्ड में एम.सी.एफ. के पद पर कार्यरत हैं तथा गांधीधाम से होकर गुजरने वाली माल एवं यात्री गाड़ियों के रोलिंग-इन एवं रोलिंग-आउट परीक्षण का कार्य करते हैं। 04 अप्रैल 2026 को ड्यूटी के दौरान उन्होंने ट्रेन संख्या DWLP/MDCC/Cont. के लोको से 11वें स्थान पर स्थित वैगन के व्हील नंबर R-4 में असामान्यता देखी। उन्होंने तत्काल ट्रेन मैनेजर को सूचित कर गाड़ी को रुकवाया। जांच के दौरान पाया गया कि CTRB का ग्रीस सील खिसका हुआ था। विस्तृत निरीक्षण एवं आवश्यक सुरक्षा उपाय अपनाने के उपरांत गाड़ी को एस्कॉर्टिंग तथा गति प्रतिबंध के साथ बीजी यार्ड तक चलाया गया तथा संबंधित वैगन को आगे व्हील परिवर्तन हेतु सिक लाइन में अलग कर दिया गया।

श्री रामराज मीणा की सतर्कता एवं ड्यूटी के दौरान की गई सूक्ष्म दृश्य जांच के कारण इस गंभीर दोष का समय रहते पता चल सका, जिससे त्वरित एवं प्रभावी कार्रवाई संभव हो पाई। उनकी सजगता, दूरदर्शिता एवं समर्पण रेलवे सेवा के उच्च मानक तथा सुरक्षित रेल संचालन के प्रति उनकी प्रतिबद्धता का उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत करते हैं।

मध्य पूर्व में तनाव के बीच वाणिज्यिक जहाजों पर हुए हमलों का वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति पर गंभीर प्रभाव पड़ा है

(छगनलाल मेवाड़ा द्वारा) सूरत।

एक ओर ईरान ने होर्मुज जलडमरूमध्य में नाकाबंदी कर रखी है, वहीं दूसरी ओर अमेरिका ने पूरे क्षेत्र में नाकाबंदी लगा रखी है। आखिर भारत और अन्य देशों के वाणिज्यिक जहाजों और नागरिक आधारभूत संरचनाओं को निशाना क्यों बनाया जा रहा है? होर्मुज जलडमरूमध्य और अन्य समुद्री मार्गों से निर्बाध आवागमन बहाल करना अत्यंत आवश्यक है। मौजूदा व्यवधानों ने कई देशों की ऊर्जा और तेल आपूर्ति को बुरी तरह प्रभावित किया है। जिसके चलते लोगों का जीवन बड़े पैमाने पर अस्त-व्यस्त हो गया है। बड़ी समस्या यह है कि युद्ध के बीच भी वाणिज्यिक जहाजों के लिए सुरक्षित मार्ग सुनिश्चित किया जाना चाहिए था। लेकिन जब इन जहाजों पर बिना किसी उचित कारण के हमले किए जा रहे हैं, तो सवाल उठता है कि वर्चस्व की इस लड़ाई में क्या अमेरिका की नजरों में अंतरराष्ट्रीय कानूनों का कोई महत्व नहीं रह गया है? अगर अमेरिका यह बात भूल गया है, तो भारत जैसे देशों को उसे यह बात और भी दृढ़ता से याद दिलानी होगी। अमेरिका ने बिना किसी ठोस कारण या उकसावे के ये हमले किए। ऐसा लगता है कि अब अमेरिका को अपने गैरजिम्मेदाराना रवैये और हठधर्मिता के परिणामों पर विचार करने का समय आ गया है। हमले में नौसैनिकों की मृत्यु के बाद भारत ने अमेरिकी दूतावास के चार्ज डी'अफेयर्स को तलब किया और कड़ा विरोध दर्ज कराया, यह उचित ही था।

मध्य पूर्व में अस्थिर सुरक्षा स्थिति पर गहरी चिंता व्यक्त करते हुए, विदेश मंत्रालय ने समुद्र में वाणिज्यिक जहाजों पर हुए हमलों का कारण भू-राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता को बताया। वहीं, अमेरिका द्वारा हाल ही में दिखाई गई लापरवाही और मनमानी शांति की बहाली के प्रति उसकी उदासीनता को दर्शाती है।

पश्चिम रेलवे चलाएगी दो स्पेशल ट्रेनें

यात्रियों की सुविधा, यात्रा की बढ़ती मांग को पूरा करने तथा अतिरिक्त यात्री यातायात की निकासी के उद्देश्य से पश्चिम रेलवे विशेष किराये पर दो स्पेशल ट्रेनें चलाएगी।

पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी श्री विनीत अभिषेक द्वारा जारी एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, इन ट्रेनों का विवरण निम्नानुसार है:

1. ट्रेन संख्या 04176/04175 दादर – सूबेदारगंज साप्ताहिक सुपरफास्ट स्पेशल

ट्रेन संख्या 04176 दादर – सूबेदारगंज स्पेशल प्रत्येक मंगलवार को 00:15 बजे दादर से प्रस्थान कर अगले दिन 05:00 बजे सूबेदारगंज पहुँचेगी। यह ट्रेन 23 जून, 2026 से 14 जुलाई, 2026 तक चलेगी।

इसी प्रकार, ट्रेन संख्या 04175 सूबेदारगंज – दादर स्पेशल प्रत्येक रविवार को 16:10 बजे सूबेदारगंज से प्रस्थान कर अगले दिन 22:40 बजे दादर पहुँचेगी। यह ट्रेन 21 जून, 2026 से 12 जुलाई, 2026 तक चलेगी।

यह ट्रेन दोनों दिशाओं में बोरीवली, वापी, सूरत, छायापुरी, रतलाम, कोटा, सवाई माधोपुर, गंगापुर सिटी, बयाना, रूपबास, फतेहपुर सीकरी, आगरा इदगाह, टुंडला, इटावा, गोविंदपुरी एवं फतेहपुर स्टेशनों पर ठहरेगी।

इस ट्रेन में एसी 2-टियर, एसी 3-टियर, स्लीपर क्लास तथा जनरल सेकेंड क्लास कोच होंगे।

2. ट्रेन संख्या 04178/04177 वलसाड – सूबेदारगंज साप्ताहिक स्पेशल

ट्रेन संख्या 04178 वलसाड – सूबेदारगंज स्पेशल प्रत्येक बुधवार को 14:45 बजे वलसाड से प्रस्थान कर अगले दिन 19:00 बजे सूबेदारगंज पहुँचेगी। यह ट्रेन 17 जून, 2026 से 15 जुलाई, 2026 तक चलेगी। इसी प्रकार, ट्रेन संख्या 04177 सूबेदारगंज – वलसाड स्पेशल प्रत्येक मंगलवार को 05:00 बजे सूबेदारगंज से प्रस्थान कर अगले दिन 10:10 बजे वलसाड पहुँचेगी। यह ट्रेन 16 जून, 2026 से 14 जुलाई, 2026 तक चलेगी।

यह ट्रेन दोनों दिशाओं में सूरत, छायापुरी, रतलाम, कोटा, गंगापुर सिटी, बयाना, आगरा इदगाह, टुंडला, इटावा, गोविंदपुरी एवं फतेहपुर स्टेशनों पर ठहरेगी।

इस ट्रेन में एसी 3-टियर, स्लीपर क्लास तथा जनरल सेकेंड क्लास कोच होंगे।

ट्रेन संख्या 04176 एवं 04178 की बुकिंग 16.06.2026 से सभी पीआरएस काउंटरों तथा आईआरसीटीसी की वेबसाइट पर प्रारंभ होगी। ट्रेनों के ठहराव, समय एवं कोच संरचना की विस्तृत जानकारी के लिए यात्री कृपया www.enquiry.indianrail.gov.in पर जाकर अवलोकन कर सकते हैं।

पश्चिम रेलवे में पहली बार वटवा इलेक्ट्रिक लोको शेड को मिला प्रतिष्ठित CII "GreenCo GOLD" रेटिंग सम्मान

पश्चिम रेलवे के अहमदाबाद मंडल स्थित इलेक्ट्रिक लोको शेड, वटवा को पर्यावरणीय उत्कृष्टता और सतत विकास के क्षेत्र में उल्लेखनीय उपलब्धियों के लिए कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री (CII) – ग्रीन बिजनेस सेंटर (GBC) द्वारा प्रतिष्ठित GreenCo GOLD Rating से सम्मानित किया गया है। यह सम्मान नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित होने वाले 15वें GreenCo Summit 2026 में प्रदान किया जाएगा। इस उपलब्धि के साथ वटवा शेड देश के अग्रणी हरित एवं सतत संस्थानों में शामिल हो गया है।

इस अवसर पर अहमदाबाद मंडल के मंडल रेल प्रबंधक (डीआरएम) श्री वेद प्रकाश ने कहा,

"इलेक्ट्रिक लोको शेड, वटवा को प्राप्त प्रतिष्ठित CII GreenCo GOLD Rating पूरे अहमदाबाद मंडल और पश्चिम रेलवे के लिए गर्व का विषय है। यह सम्मान हमारे अधिकारियों एवं कर्मचारियों की पर्यावरण संरक्षण, ऊर्जा दक्षता और सतत विकास के प्रति अटूट प्रतिबद्धता का परिणाम है। वटवा शेड ने नवाचार, संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग और हरित प्रौद्योगिकियों को अपनाकर यह सिद्ध किया है कि उत्कृष्ट परिचालन और पर्यावरणीय जिम्मेदारी साथ-साथ आगे बढ़ सकते हैं।"

"भारतीय रेल वर्ष 2030 तक नेट ज़ीरो कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य लेकर कार्य कर रही है और यह उपलब्धि उसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। मुझे विश्वास है कि वटवा इलेक्ट्रिक लोको शेड की यह सफलता भारतीय रेल की अन्य इकाइयों के लिए भी प्रेरणास्रोत बनेगी तथा हम सभी मिलकर एक सुरक्षित, स्वच्छ, हरित और सतत भविष्य के निर्माण में अपना योगदान देते रहेंगे।"

विशेष रूप से, पश्चिम रेलवे में पहली बार किसी इलेक्ट्रिक लोको शेड को यह प्रतिष्ठित GreenCo GOLD Rating प्राप्त हुई है, जो पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास के क्षेत्र में पश्चिम रेलवे की अग्रणी भूमिका को दर्शाती है।

GreenCo Rating भारत की अपनी तरह की पहली ऐसी मूल्यांकन प्रणाली है, जो किसी संस्थान के पर्यावरणीय प्रदर्शन का आकलन करती है। इसके अंतर्गत ऊर्जा दक्षता, जल संरक्षण, नवीकरणीय ऊर्जा, ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन, अपशिष्ट प्रबंधन, सामग्री संरक्षण एवं पुनर्चक्रण, हरित आपूर्ति श्रृंखला, हरित अवसंरचना एवं पारिस्थितिकी तथा पर्यावरणीय नवाचार जैसे विभिन्न मानकों का मूल्यांकन किया जाता है। GOLD Rating इस प्रणाली के अंतर्गत प्रदान किए जाने वाले सर्वोच्च सम्मानों में से एक है।

ऊर्जा दक्षता एवं स्वच्छ ट्रैक्शन

इलेक्ट्रिक लोको शेड, वटवा ने डीजल आधारित परिचालन से पूर्णतः इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन की ओर परिवर्तन करते हुए वर्ष 2022-23 में 1.88 करोड़ लीटर से अधिक डीजल (HSD) की खपत को शून्य पर ला दिया, जिससे Scope-1 उत्सर्जन में लगभग 100 प्रतिशत की कमी आई। प्राकृतिक प्रकाश के अधिकतम उपयोग हेतु असेंबली बे में लॉन्ग-ट्यूब डेलाइट हार्वेस्टिंग (Brillantor) प्रणाली स्थापित की गई। इसके अतिरिक्त पारंपरिक पंखों के स्थान पर 5-स्टार रेटेड BLDC पंखे, CFL एवं हैलोजन लाइटों के स्थान पर LED लाइटें, ऑक्यूपेंसी सेंसर तथा एस्ट्रोनॉमिकल टाइमर का उपयोग कर ऊर्जा बचत सुनिश्चित की गई।

जल संरक्षण की दिशा में नवाचार

वर्षा जल संचयन एवं भूजल पुनर्भरण प्रणाली के माध्यम से प्रतिवर्ष लगभग 20.5 लाख लीटर जल पुनर्भरण की क्षमता विकसित की गई है। लोकोमोटिव के विंडशील्ड वॉशर सिस्टम में अभिनव संशोधन तथा जलरहित यूरिनल की व्यवस्था के माध्यम से जल संरक्षण एवं लोको पायलटों की स्वच्छता सुनिश्चित की गई है। प्रक्रिया से उत्पन्न अपशिष्ट जल एवं उपचारित जल के निष्कासन को शून्य तक लाते हुए ताजे जल की विशिष्ट खपत में निरंतर कमी दर्ज की गई है।

नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा

अहमदाबाद मंडल में लगभग 1,863 किलोवाट पीक (kWp) क्षमता के सौर संयंत्र स्थापित किए गए हैं, जिनसे प्रतिवर्ष अनुमानित 24.22 लाख यूनिट स्वच्छ ऊर्जा का उत्पादन हो रहा है। इसके अतिरिक्त वटवा शेड के लिए समर्पित रूफटॉप सौर परियोजना भी प्रस्तावित है। इससे भारतीय रेल के वर्ष 2030 तक नेट ज़ीरो कार्बन उत्सर्जन के लक्ष्य को बल मिल रहा है।

ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में कमी

Scope-1, Scope-2 तथा Scope-3 के अंतर्गत ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन की तीव्रता में निरंतर वर्ष-दर-वर्ष कमी दर्ज की गई है। 800 से अधिक जीवित वृक्षों के संरक्षण एवं नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन के माध्यम से कार्बन ऑफसेट को भी बढ़ावा दिया गया है।

अपशिष्ट प्रबंधन एवं सामग्री संरक्षण

"Zero Waste to Landfill" दृष्टिकोण अपनाते हुए स्रोत स्तर पर अपशिष्ट पृथक्करण, अधिकृत पुनर्चक्रण एजेंसियों के माध्यम से निस्तारण तथा ISO 14001 एवं ISO 50001 प्रमाणित प्रबंधन प्रणालियों का प्रभावी क्रियान्वयन किया गया है। वार्षिक औसत खपत (AAC) की समीक्षा एवं पुर्जों के पुनः उपयोग के माध्यम से प्रतिवर्ष लगभग 38 लाख रुपये की बचत सुनिश्चित की गई है।

हरित आपूर्ति श्रृंखला एवं नवाचार

ग्रीन प्रमाणित विक्रेताओं से खरीद, पैकेजिंग में एकल-उपयोग प्लास्टिक पर प्रतिबंध तथा पैकिंग अपशिष्ट वापसी जैसी व्यवस्थाएँ लागू की गई हैं। शेड द्वारा विकसित एक संशोधन को RDSO द्वारा अपनाया गया है तथा रेलवे बोर्ड की इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव केबिन उन्नयन प्रतियोगिता में संयुक्त रूप से प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। इसके अतिरिक्त सुरक्षा एवं उत्पादकता बढ़ाने वाले अनेक नवाचार भी विकसित किए गए हैं।

इलेक्ट्रिक लोको शेड, वटवा को प्राप्त यह GreenCo GOLD Rating वहाँ कार्यरत अधिकारियों एवं कर्मचारियों के सामूहिक प्रयास, प्रतिबद्धता और पर्यावरण संरक्षण के प्रति समर्पण का परिणाम है। यह उपलब्धि पश्चिम रेलवे एवं भारतीय रेल की सतत विकास तथा वर्ष 2030 तक Net Zero Carbon Emitter बनने की प्रतिबद्धता को पुनः सुदृढ़ करती है।

लिव-इन रिलेशनशिप महिलाओं के हितों के खिलाफ हैं, ब्रेकअप के बाद जीवनसाथी ढूंढना मुश्किल: इलाहाबाद उच्च न्यायालय

(छगनलाल मेवाड़ा द्वारा) सूरत।

देश के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा लिव-इन रिलेशनशिप को कानूनी मान्यता दिए जाने के बाद, एक पुरुष लिव-इन रिलेशनशिप के बाद एक या एक से अधिक महिलाओं से शादी कर सकता है। लेकिन लिव-इन रिलेशनशिप टूटने के बाद महिला के लिए जीवनसाथी ढूंढना मुश्किल हो जाता है। क्योंकि लिव-इन रिलेशनशिप टूटने की स्थिति में, यह महिलाओं को असमान रूप से नुकसान पहुंचाती है, क्योंकि पुरुष आसानी से शादी करके आगे बढ़ जाते हैं और बस जाते हैं, जबकि महिलाएं जीवनसाथी खोजने के लिए संघर्ष करती रहती हैं। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने टिप्पणी की कि इस तरह की व्यवस्था भारतीय मध्यमवर्गीय समाज के स्थापित मानदंडों के विरुद्ध है।

न्यायमूर्ति सिद्धार्थ की अध्यक्षता वाली एकल न्यायाधीश पीठ ने अदालत में ऐसे मामलों की बढ़ती संख्या पर असंतोष व्यक्त किया। न्यायमूर्ति सिद्धार्थ ने कहा, "लिव-इन-रिलेशनशिप की अवधारणा महिलाओं के हितों के विरुद्ध है क्योंकि एक पुरुष लिव-इन-रिलेशनशिप के बाद भी एक या कई महिलाओं से शादी कर सकता है, लेकिन महिलाओं के लिए ब्रेकअप के बाद जीवनसाथी ढूंढना मुश्किल होता है।"

अदालत ने आगे कहा, "यह अदालत महसूस करती है कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा लिव-इन रिलेशनशिप को कानूनी मान्यता दिए जाने के बाद, अदालत ऐसे मामलों से तंग आ चुकी है। ये मामले अदालत के समक्ष इसलिए आ रहे हैं क्योंकि भारतीय मध्यमवर्गीय समाज में लिव-इन रिलेशनशिप की अवधारणा स्थापित कानून के विरुद्ध है।" ये टिप्पणियां अदालत में शान आलम नामक आरोपी की जमानत याचिका की सुनवाई के दौरान की गईं। उसके खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) और बाल यौन उत्पीड़न संरक्षण अधिनियम (पीओसीएसओ) की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था।

उस पर विवाह का झूठा वादा करके शिकायतकर्ता के साथ यौन संबंध बनाने और बाद में वादा तोड़ने का आरोप था। याचिकाकर्ता-शिकायतकर्ता की ओर से पेश वकील मधु यादव ने तर्क दिया कि आरोपी के कृत्यों ने उसका पूरा जीवन बर्बाद कर दिया है। उन्होंने दावा किया कि अब कोई भी उससे शादी करने को तैयार नहीं है। इन तर्कों पर ध्यान देते हुए न्यायालय ने पाया कि लिव-इन रिलेशनशिप का विचार युवा पीढ़ी को आकर्षित करता है, लेकिन इसके परिणाम पहले के मामलों में स्पष्ट हो चुके हैं। हालांकि, आरोपी की प्रकृति, उसके आपराधिक इतिहास का न होना और जेल में भीड़भाड़ को ध्यान में रखते हुए, पीठ ने इस वर्ष आरोपी को जमानत दे दी। जमानत आवेदक/आरोपी की ओर से वकील सतीश चंद्र सिंह पेश हुए।

अहमदाबाद मंडल कवच 4.0 से होगा सौ फीसदी लैस,140 करोड़ की लागत से 598 रूट किलोमीटर पर स्थापित होगी स्वदेशी ट्रेन सुरक्षा प्रणाली, कवच 4.0 के विस्तार को मिली मंजूरी

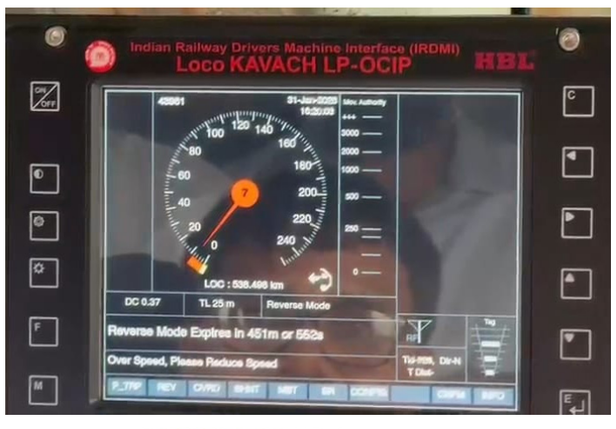

रेल सुरक्षा को और अधिक सुदृढ़ बनाने की दिशा में भारतीय रेल ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए पश्चिम रेलवे के अहमदाबाद मंडल में कवच संस्करण 4.0 के विस्तार को मंजूरी प्रदान की है। इस परियोजना के अंतर्गत अहमदाबाद मंडल के 598 रूट किलोमीटर में फैले 48 ब्लॉक सेक्शनों पर कवच प्रणाली स्थापित की जाएगी। इस कार्य के लिए 140 करोड़ की स्वीकृति प्रदान की गई है। यह कार्य भारतीय रेल के शेष मार्गों पर एलटीई (LTE) आधारित संचार नेटवर्क के साथ कवच प्रणाली उपलब्ध कराने के व्यापक कार्यक्रम के अंतर्गत स्वीकृत किया गया है।

मण्डल रेल प्रबंधक अहमदाबाद श्री वेद प्रकाश ने जानकारी देते हुए बताया कि इससे पूर्व अहमदाबाद मंडल के लगभग 702 रूट किलोमीटर पर कवच कार्य पहले ही स्वीकृत किया जा चुका है। वर्तमान परियोजना की मंजूरी के साथ मंडल के शेष रेल खंड भी कवच प्रणाली के दायरे में आ जाएंगे। इसके परिणामस्वरूप अहमदाबाद मंडल का संपूर्ण नेटवर्क कुल 1300 रूट किमी कवच प्रणाली से आच्छादित हो जाएगा और मंडल कवच 4.0 से सौ फीसदी लैस हो जाएगा।

कवच भारतीय रेल द्वारा विकसित एक अत्याधुनिक एवं स्वदेशी ऑटोमैटिक ट्रेन प्रोटेक्शन (ATP) प्रणाली है, जिसका उद्देश्य रेल परिचालन को अधिक सुरक्षित बनाना है। यह प्रणाली—

- सिग्नल पासिंग एट डेंजर (SPAD) जैसी घटनाओं को रोकने में सहायता करती है।
- आवश्यकता पड़ने पर स्वतः ब्रेक लगाकर असुरक्षित परिस्थितियों को टालती है।
- संवेदनशील परिस्थितियों में ट्रेन की गति को नियंत्रित करती है।
- रेल दुर्घटनाओं एवं टक्करों के जोखिम को उल्लेखनीय रूप से कम करती है।

भारतीय रेल, यात्री सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए, अपने नेटवर्क पर कवच प्रणाली का चरणबद्ध विस्तार कर रही है। अहमदाबाद मंडल में कवच 4.0 का पूर्ण विस्तार सुरक्षित, आधुनिक और आत्मनिर्भर रेलवे प्रणाली के निर्माण की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि सिद्ध होगा। यह पहल न केवल यात्रियों की सुरक्षा को नई मजबूती प्रदान करेगी, बल्कि भारतीय रेल के तकनीकी आधुनिकीकरण की दिशा में भी एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होगी।

निर्माण कार्य के कारण भावनगर–साबरमती इंटरसिटी एक्सप्रेस आंशिक रूप से निरस्त

यात्रियों को सूचित किया जाता है कि रेल प्रशासन द्वारा ट्रेन नंबर 20966/20965 भावनगर–साबरमती–भावनगर इंटरसिटी एक्सप्रेस ट्रेन के संचालन में अस्थायी परिवर्तन को स्वीकृति प्रदान की गई है। साबरमती स्टेशन पर निर्माण कार्य प्रगति पर होने तथा ब्लॉक लिए के कारण यह ट्रेन दिनांक 16.06.2026 से 15.12.2026 तक गांधीग्राम और साबरमती स्टेशनों के बीच आंशिक रूप से निरस्त रहेगी।

उक्त अवधि के दौरान ट्रेन का संचालन भावनगर से गांधीग्राम तथा गांधीग्राम से भावनगर के बीच ही किया जाएगा। गांधीग्राम–साबरमती–गांधीग्राम खंड में इस ट्रेन का संचालन अस्थायी रूप से नहीं होगा।

यात्रियों से अनुरोध है कि यात्रा प्रारंभ करने से पूर्व अपनी ट्रेनों की अद्यतन स्थिति की जानकारी रेलवे की अधिकृत वेबसाइट www.enquiry.indianrail.gov.in, 139 हेल्पलाइन अथवा नजदीकी रेलवे स्टेशन से प्राप्त कर लें।

रेल प्रशासन को असुविधा के लिए खेद है तथा यात्रियों के सहयोग की अपेक्षा करता है।

गुजरात सरकार ने 'गुजरात औद्योगिक नीति 2026' घोषित की

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल और उप मुख्यमंत्री श्री हर्ष संघवी ने 'विकसित गुजरात से विकसित भारत @2047' के लक्ष्य के साथ नई औद्योगिक नीति की घोषणा की

गांधीनगर : गुजरात को 2047 तक 3.5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने की यात्रा को तेज बनाने के एक निर्णायक कदम के रूप में, सोमवार को 'गुजरात औद्योगिक नीति 2026' की घोषणा की गई।

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल और उप मुख्यमंत्री श्री हर्ष संघवी की प्रेरक उपस्थिति में गांधीनगर स्थित महात्मा मंदिर में औद्योगिक नीति 2026 की महत्वपूर्ण घोषणा की गई। इस मौके पर वित्त मंत्री श्री कनुभाई देसाई, कृषि मंत्री श्री जीतूभाई वाघाणी, उद्योग राज्य मंत्री डॉ. जयराम गामित, वित्त विभाग के अपर मुख्य सचिव श्री टी. नटराजन सहित कई महानुभाव मौजूद रहे।

इस नीति की घोषणा के अवसर पर मुख्य सचिव श्री एम.के. दास, उद्योग-व्यापार जगत के अग्रणी, उद्योग विभाग की अपर मुख्य सचिव सुश्री ममता वर्मा और मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव श्री संजीव कुमार सहित कई वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।

औद्योगिक नीति 2026 की विशेषताएं

- निवेशकों को कारोबार में और भी आसानी देने के लिए 'चूज योर इंटेंसिव' यानी अपना इंटेंसिव चुने जैसी नई पहल
- जिसके अंतर्गत निवेशक अपनी आवश्यकता के अनुसार इंटेंसिव चुन सकते हैं
- गुजरात को एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग, आरएंडडी और वैल्यू एडिशन का वैश्विक हब बनाने पर विशेष ध्यान
- T.H.R.I.V.E प्रोजेक्ट की घोषणा, उद्योगों को शहरी क्षेत्रों से स्थानांतरित करने, शहरों में भीड़ कम करने और जीवन को आसान बनाने की दिशा में एक अच्छा कदम
- एमएसएमई को तेजी से आगे बढ़ने और छोटी शुरुआत से मजबूत और वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने वाले उद्योगों में बदलने के लिए प्रोत्साहन
- स्टार्टअप्स, महिला उद्यमियों, दिव्यांगों और एससी/एसटी उद्यमियों के लिए अतिरिक्त सहायता
- गुजरात औद्योगिक नीति 2026 के जरिए पारदर्शी, आसान और उद्योग-केंद्रित ढांचा, निवेशकों को विश्वास और स्पष्टता देने के साथ गुजरात को दुनिया के सबसे प्रतिस्पर्धी और आकर्षक निवेश गंतव्यों में से एक बनाता है

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने इस नई औद्योगिक नीति को 'विकसित गुजरात से विकसित भारत 2047' के संकल्प को साकार करने वाला सर्वग्राही विकास दस्तावेज बताया।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में, गुजरात ने पॉलिसी ड्रिवन स्टेट के रूप में अपनी पहचान स्थापित की है। इतना ही नहीं, वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट की सफलताओं के चलते गुजरात दुनियाभर के निवेशकों के लिए निवेश का सर्वश्रेष्ठ विकल्प और देश के विकास का ग्रोथ इंजन बन गया है।

मुख्यमंत्री ने ग्रीन और सस्टेनेबल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को इस नीति का सर्वाधिक महत्वपूर्ण पहलू करार दिया। उन्होंने इस बात की भी जानकारी दी कि गुजरात औद्योगिक नीति 2026 में ग्रीन इंडस्ट्रियल पार्क, वेस्ट वाटर रीसाइक्लिंग, जीरो लिक्विड डिस्चार्ज, क्लीनर प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी और सर्कुलर इकोनॉमी को प्रोत्साहन दिया गया है।

उन्होंने कहा कि गुजरात की यह नई औद्योगिक नीति 2026 चार मजबूत स्तंभों- इन्वेस्टमेंट और प्रोडक्शन, इनोवेशन और रिसर्च, स्किल और एम्प्लॉयमेंट, सस्टेनेबिलिटी और इनक्लूसिव डेवलपमेंट, पर खड़ी है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि दुनिया की तेजी से बदलती अर्थव्यवस्था, टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ग्रीन एनर्जी और ग्लोबल सप्लाई चेन की नई संरचना उद्योगों के स्वरूप को बदल रही है, तब गुजरात की यह नई औद्योगिक नीति भविष्य के उद्योगों को ध्यान में रखकर उनके विचारों और मांगों पर गौर करने के बाद तैयार की गई है।

श्री भूपेंद्र पटेल ने यह भी कहा कि इस औद्योगिक नीति में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई), स्टार्टअप, महिला उद्यमियों, पहली पीढ़ी के उद्यमी और युवा शक्ति को विकास के केंद्र में रखा गया है।

उप मुख्यमंत्री श्री हर्ष संघवी ने कहा कि नई औद्योगिक नीति, जो भविष्य का मार्गदर्शक दस्तावेज है, केवल प्रोत्साहन देने वाली योजना नहीं है, बल्कि वर्ष 2047 के विकसित गुजरात के विजन को साकार करने का एक शक्तिशाली माध्यम है। इस नई औद्योगिक नीति के माध्यम से विभिन्न क्षेत्रों में 15 से 45 फीसदी तक के विविध इंटेंसिव के जरिए उद्योगों को प्रोत्साहन दिया जाएगा, ताकि नए निवेश आकर्षित हों, रोजगार का सृजन हो और राज्य के युवाओं को अपने गृह राज्य में ही उज्ज्वल भविष्य बनाने का अवसर मिले। इस नीति के जरिए सरकार और उद्योग जगत, दोनों मिलकर विकास का एक मजबूत इकोसिस्टम बनाएंगे।

उप मुख्यमंत्री श्री संघवी ने कहा कि देश के क्षेत्रफल का केवल 5 फीसदी और आबादी का 6 फीसदी हिस्सा रखने वाला गुजरात आज देश के उत्पादन क्षेत्र में अग्रणी है। देश के कुल उत्पादन में 18 फीसदी से अधिक और कार्गो हैंडलिंग में 40 फीसदी की हिस्सेदारी के साथ ही लगभग 33 फीसदी औसत निर्यात गुजरात से होता है। देश की सबसे अधिक एमएसएमई इकाइयों वाला गुजरात आज निवेश, उद्यमिता और विकास का सबसे विश्वसनीय केंद्र बन चुका है। इस सफलता के पीछे गुजरात के उद्यमी और राज्य सरकार की विकास-उन्मुख नीतियों का महत्वपूर्ण योगदान है।

उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल राज्य के युवाओं, महिलाओं और किसानों सहित सभी नागरिकों के हितों को केंद्र में रखकर लगातार विकास कर रहे हैं। उन्होंने समस्याओं पर केवल चर्चा नहीं की, बल्कि उनके प्रभावी निराकरण के लिए निर्णायक कदम उठाए हैं। एक सच्चे अभिभावक के तौर पर उन्होंने गुजरात के सर्वांगीण विकास के लिए दृढ़ नेतृत्व दिया है, जिसके लिए पूरा राज्य उनके प्रति आभार व्यक्त करता है।

अनुसंधान, नवाचार और सनराइजिंग सेक्टर पर विशेष जोर देते हुए श्री संघवी ने आगे कहा कि गुजरात ने देश के अन्य राज्यों के मुकाबले अनुसंधान और विकास (आरएंडडी) को अधिक प्राथमिकता दी है। कुछ क्षेत्रों में 54 फीसदी तक का इंटेंसिव देकर युवाओं में नवाचार और अनुसंधान को बढ़ावा दिया जाएगा। इस नीति का मुख्य उद्देश्य ग्रीन एनर्जी, ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग, रोबोटिक्स, फूटवेयर और खिलौना मैन्युफैक्चरिंग जैसे सनराइजिंग सेक्टर्स में गुजरात को वैश्विक नेतृत्वकर्ता बनाना है। भविष्य की टेक्नोलॉजी और नए अवसरों में गुजरात देश का नेतृत्व करे, इसके लिए इस दिशा में अहम कदम उठाए गए हैं।

उन्होंने आगे कहा कि सरकार ने उद्योगों को मिलने वाले प्रोत्साहन और तेजी और पारदर्शी तरीके से पहुंचे, इसके लिए प्रक्रियाओं को आसान बनाया है। अनावश्यक कागजी कार्यवाही को कम करके, मंजूरियों को तेज बनाकर और टेक्नोलॉजी-आधारित व्यवस्थाएं खड़ी करके छोटे और बड़े, सभी निवेशकों को अनुकूल वातावरण दिया जा रहा है। गिफ्ट सिटी, धोलेरा, डेटा सेंटर्स और ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स जैसे क्षेत्रों की मदद से गुजरात को देश का नंबर-1 राज्य बनाने के प्रयास जारी हैं। सरकार और उद्योग जगत के संयुक्त प्रयासों से गुजरात विकास, निवेश और रोजगार की नई ऊंचाइयों को छुएगा।

मुख्य सचिव श्री मनोज कुमार दास ने 'विकसित गुजरात औद्योगिक नीति-2026' के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि यह नई नीति अत्यंत सर्वग्राही और प्रोत्साहक है, जिसमें सेमीकंडक्टर जैसे उभरते क्षेत्र, एमएसएमई इकाइयां, पिछड़े क्षेत्रों के विकास, अनुसंधान और विकास (आरएंडडी) तथा महिला सशक्तिकरण के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं। दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ रही भारत की अर्थव्यवस्था में गुजरात 'ग्रोथ इंजन' के रूप में अग्रणी भूमिका निभा रहा है। देश के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में गुजरात का योगदान 20 वर्ष पहले 6.2 फीसदी से बढ़कर आज 8.2 फीसदी हो गया है, और राज्य सरकार का संकल्प 2047 तक इसे 10 फीसदी तक ले जाने का है। इसके अलावा, गुजरात, भारत के कुल मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट में 18 फीसदी और निर्यात में 25 फीसदी की हिस्सेदारी रखता है। लॉजिस्टिक्स लागत को कम करके 'स्पीड ऑफ डूइंग बिजनेस' बढ़ाने पर विशेष ध्यान केंद्रित करते हुए गुजरात 2047 के विकसित भारत के विजन को साकार करने के लिए मजबूती से आगे बढ़ रहा है।

उद्योग और खान विभाग की अपर मुख्य सचिव सुश्री ममता वर्मा (आईएएस) ने औद्योगिक नीति पर विस्तार से प्रेजेंटेशन दिया।

यह नई औद्योगिक नीति एक भविष्योन्मुखी और परिवर्तनात्मक नीति ढांचा है, जिसका उद्देश्य राज्य को एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग, नवाचार और सतत विकास के लिए वैश्विक शक्ति केंद्र के रूप में स्थापित करना है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के दृष्टिकोण और विरासत को आगे बढ़ाते हुए, यह नीति गुजरात की उस महत्वाकांक्षा को दिखाती है, जिसमें वह भारत के औद्योगिक बदलाव के अगले चरण का नेतृत्व करना चाहता है, जिसमें वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी उद्योगों और उच्च मूल्य वाले निवेशों को प्रोत्साहन तथा बड़े पैमाने पर गुणवत्तापूर्ण रोजगार सृजित करने की व्यवस्था शामिल है।

'विकसित गुजरात से विकसित भारत @2047' के लक्ष्य से प्रेरित, गुजरात औद्योगिक नीति 2026 में अनेक नई पहलें और उद्योग मैत्रीपूर्ण प्रोत्साहन शामिल किए गए हैं, जो राज्य के विकास और वृद्धि को तेज गति देने वाले हैं। यह नीति 'लिविंग वेल' और 'अर्निंग वेल' के विजन पर आधारित है, जिसका उद्देश्य उद्योगों को सशक्त बनाना और युवाओं के लिए गुणवत्तापूर्ण रोजगार के अवसर पैदा करना है। 'आत्मनिर्भर भारत' का विजन भी इस नीति को मार्दर्शन देता है, ताकि देश की घरेलू क्षमताएं मजबूत हों और आयात पर निर्भरता कम करने में मदद मिले।

यह नीति नवाचार, वैल्यू एडिशन, रोजगार सृजन और टिकाऊ विकास को प्राथमिकता देती है। इस नीति के माध्यम से गुजरात सरकार भविष्य के लिए तैयार उद्योगों को प्रोत्साहित करने, औद्योगिक प्रतिस्पर्धात्मकता में वृद्धि करने और सर्वसमावेशी आर्थिक विकास को आगे बढ़ाने की अपनी प्रतिबद्धता को पुनः दोहराती है। साथ ही, विभिन्न क्षेत्रों की मजबूती का प्रभावी तरीके से उपयोग करके मौजूदा औद्योगिक व्यवस्था को अधिक मजबूत बनाना और मौजूदा और नएर, दोनों प्रकार के निवेशकों के लिए कारोबार करना आसान बनाना भी इस नीति का उद्देश्य है। गुजरात औद्योगिक नीति 2026 तैयार करते समय उद्योगों, स्टार्टअप्स, एमएसएमई और शैक्षिक संस्थानों सहित सभी महत्वपूर्ण हितधारकों के साथ व्यापक परामर्श किया गया है।

गुजरात : एक नजर

- पिछले दो दशकों के दौरान गुजरात की जीडीपी 20 गुना बढ़ी है, जो मजबूत और सतत विकास को दिखाता है।
- यह निरंतर वृद्धि स्पष्ट और दीर्घकालिक विजन, स्थिर शासन और निवेशकों के अनुकूल दृष्टिकोण पर आधारित तेज और व्यापक औद्योगिक विकास का प्रतिबिंब है, जिसकी नींव माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप मं् अपने कार्यकाल के दौरान रखी थी।
- इस विरासत को आगे बढ़ाते हुए, गुजरात ने माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल के नेतृत्व में अनेक गुना विकास किया है और इसकी जीडीपी बढ़कर लगभग 329.70 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गई है, जो भारत की कुल जीडीपी में लगभग 8.2 फीसदी का योगदान देती है।

इसके अलावा,

- राज्य में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) 2015-16 में 2.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर दिसंबर 2025 तक कुल 60.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया है।
- 2012 से विभिन्न औद्योगिक नीतियों के तहत 7 लाख करोड़ रुपए से अधिक का कुल निवेश हुआ है।
- 2012 से विभिन्न औद्योगिक नीतियों के जरिए 12.72 लाख लोगों को सीधे रोजगार मिला है।
- लॉजिस्टिक्स क्षमता में नेशनल लीडर, 2018 से 'लॉजिस्टिक्स ईज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स' (लीड्स) इंडेक्स में पहले स्थान पर है।
- 2018 से उद्योग संवर्धन एवं आंतरिक व्यापार विभाग (डीपीआईआईटी) की नेशनल स्टार्टअप रैंकिंग में 'टॉप अचीवर' की उपलब्धि हासिल करने वाला।

इस उच्च वृद्धि के मार्ग के हिस्से के रूप में, राज्य ने टेक्सटाइल और कपड़ा, सिरेमिक्स, इंजीनियरिंग, केमिकल और पेट्रोकेमिकल्स, फार्मास्यूटिकल्स और ऑटो व ऑटो कंपोनेंट्स जैसे सेक्टर में मजबूत मैन्युफैक्चरिंग आधार बनाया है। फ्यूचर रेडी स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन्स (एसआईआर), जीआईडीसी एस्टेट, सेक्टर-विशिष्ट इंडस्ट्रियल पार्क और विश्व स्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर सुविधाओं द्वारा समर्थन दिया है।

गुजरात औद्योगिक नीति 2026 भी माननीय प्रधानमंत्री के 'वोकल फॉर लोकल, लोकल टू ग्लोबल' के जोर को सक्रिय रूप से बढ़ावा देती है और स्थानीय विशेषताओं और क्षमताओं के आधार पर वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने वाले उत्पाद विकसित करने, उत्पादन करने और बड़े पैमाने पर तैयार करने के लिए उद्योगों को सशक्त बनाती है। इस नीति का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि गुजरात के उद्योग न केवल घरेलू मांग को पूरा करें, बल्कि अंतरराष्ट्रीय बाजारों में भी पसंदीदा सप्लायर के तौर पर उभरें, जिससे भारत की निर्यात क्षमता और रणनीतिक आर्थिक प्रभाव में वृद्धि हो।

औद्योगिक विस्तार की नेक्स्ट वेव को अनलॉक करना

इस नीति के केंद्र में गुजरात को वैश्विक उत्पादन और मूल्य निर्माण हब में रूपांतरित करना है। तदनुसार, 21 हाई-ग्रोथ थ्रस्ट सेक्टर की पहचान की गई है। ये सेक्टर हैं : -

- ग्रीन एनर्जी इकोसिस्टम
- मोबिलिटी
- कैपिटल इक्विपमेंट
- टेक्सटाइल और अपैरल्स
- सस्टेनेबिलिटी
- केमिकल्स
- एग्रो प्रोसेसिंग
- हेल्थकेयर
- क्रिटिकल मिनरल्स प्रोसेसिंग/रिफाइनिंग/एक्सट्रैक्शन, मेटल्स और मिनरल्स, सिरेमिक्स
- सेमीकंडक्टर इंडस्ट्रीज की सहायक इकाइयां
- न्यूक्लियर पावर इक्विपमेंट
- व्हीकल स्क्रैपिंग फैसिलिटीज
- इलेक्ट्रॉनिक्स वेस्ट रीसाइक्लिंग इकाइयां
- टेक्सटाइल वेस्ट रीसाइक्लिंग इकाइयां
- मैन्युफैक्चरिंग ऑफ शिपिंग कंटेनर
- हैवी अर्थ मूविंग इक्विपमेंट
- खेल के सामान और इक्विपमेंट बनाना
- खिलौने बनाना
- जूते-चप्पल बनाना
- रोबोट बनाना
- ड्रोन बनाना

इनोवेशन-आधारित विकास को और गति देना

इस नीति का एक मुख्य स्तंभ इनोवेशन-आधारित विकास पर जोर देना है, जिसका स्पष्ट दृष्टिकोण गुजरात को अनुसंधान और विकास (आरएंडडी) के लिए एक वैश्विक हब बनाना है। राज्य में काम शुरू करने वाले आरएंडडी सेंटर्स के लिए विशेष प्रोत्साहनों का आयोजन किया गया है, ताकि उन्हें शुरुआत में मजबूत सहारा मिले और वैश्विक स्तर पर पहचान मिले। 'अर्ली बर्ड' इंसेंटिव (जो कम से कम 300 करोड़ रुपये के निवेश वाले पहले 5 आरएंडडी सेंटर्स के लिए लागू होंगे) में ये शामिल हैं :

- 5 साल तक बिल्डिंग, मशीनरी और इक्विपमेंट के लिए 50% कैपिटल सब्सिडी के रूप में कैपेक्स सपोर्ट, जो हर साल 50 करोड़ रुपये तक हो सकता है।
- अलॉटमेंट प्राइस (जीआईडीसी/धोलेरा/सरकारी जमीन) का 25% या प्राइवेट जमीन के मामले में जंत्री रेट का 25% वापस मिलना (रीइम्बर्समेंट), साथ ही बिजली टैरिफ और पेरोल सब्सिडी भी मिलेगी। आरएंड़ी सेंटर 10 साल की अवधि के लिए आईपीआर और पेटेंट सपोर्ट पाने का भी पात्र होगा।

इस इकोसिस्टम को और बढ़ावा देने के लिए, जीआईडीसी द्वारा 'गुजरात रिसर्च एंड इनोवेशन पार्क' विकसित किया जाएगा, जो अत्याधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर, शेयर्ड लेबोरेटरी और परीक्षण सुविधाएं, पायलट-स्केल और प्रोटोटाइपिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, और 'प्लग-एंड-प्ले' वर्कस्पेस प्रदान करके अग्रणी आरएंडडी कंपनियों, स्टार्टअप्स और टेक्नोलॉजी-आधारित कंपनियों को आकर्षित करेगा। इसके अलावा, उद्योगों के लिए सीमलेस एक्सेस की सुविधा के लिए परीक्षण और आरएंडडी सुविधाओं के लिए एक 'वन-स्टॉप डिजिटल पोर्टल' भी विकसित किया जाएगा।

स्टार्टअप्स के लिए समर्थन - गुजरात के युवाओं की उद्यमिता क्षमता का परिवर्तन गुजरात औद्योगिक नीति 2026 राज्य के तेजी से बढ़ते स्टार्टअप इकोसिस्टम को मजबूत करने और उद्यमियों की अगली पीढ़ी को सशक्त बनाने के लिए एक व्यापक आधार ढांचा प्रस्तुत करती है।

मुख्य सहायता:

- निर्वाह भत्ता (सस्टेनेंस अलाउंस) : 10 साल के लिए 25,000 रुपए/माह (महिला सह-संस्थापक होने पर 30,000 रुपए/माह); हाई-टेक/फिनटेक/बायोटेक/ग्रीन स्टार्टअप्स के लिए 2 साल तक।
- सीड सपोर्ट : 30 लाख रुपए तक (सामाजिक प्रभाव के लिए + 10 लाख रुपए, हाई-टेक/फिनटेक/बायोटेक/ग्रीन स्टार्टअप्स के लिए + 10 लाख रुपए)।
- अन्य सहायता : ब्याज सब्सिडी, एक्सेलरेशन प्रोग्राम और कौशल विकास जारी रहेंगे। पात्र होने पर स्टार्टअप एमएसएमई प्रोत्साहनों का भी दावा कर सकते हैं।

टिकाऊ और ग्रीन औद्योगिक विकास को प्रोत्साहन देना

माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के पर्यावरण के प्रति जिम्मेदार औद्योगिक विकास के विजन के अनुरूप, राज्य ग्रीन ग्रोथ और सर्कुलर इकोनॉमी के सिद्धांतों के लिए प्रतिबद्ध है। यह नीति कॉमन एनवायरनमेंटल इंफ्रास्ट्रक्चर स्थापित करने और उसे अपग्रेड करने के लिए आर्थिक सहायता देकर इस विजन को समर्थन देती है।

वेस्टवॉटर मैनेजमेंट और रीसाइक्लिंग: उन प्रोजेक्ट्स के लिए 50% (अधिकतम 75 करोड़ रुपए तक) की सहायता, जो मौजूदा या नए सीईटीपी (कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट)/इंटीग्रेटेड फैसिलिटीज के जरिए कम से कम 70% वेस्टवॉटर रीसाइक्लिंग हासिल करते हैं। अन्य प्रोजेक्ट्स के लिए, eFCI का 40% (अधिकतम 50 करोड़ रुपए तक) सहायता के तौर पर दिया जाएगा।

कॉमन बॉयलर प्रोजेक्ट स्थापित करने के लिए eFCI का 40% (अधिकतम 30 करोड़ रुपए तक) की सहायता।

क्लीनर प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी अपनाना: एमएसएमई के लिए 50% (अधिकतम 1 करोड़ रुपए तक) और लार्ज/मेगा/अल्ट्रा-मेगा इकाइयों के लिए 25% (अधिकतम 2 करोड़ रुपए तक) सहायता, ताकि वे क्लीनर प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी अपना सकें, दक्षता बढ़ा सकें, उत्सर्जन कम कर सकें और सस्टेनेबल मैन्युफैक्चरिंग तरीकों को बढ़ावा दे सकें।

जीरो लिक्विड डिस्चार्ज (जेडएलडी) स्थापित करना: एमएसएमई के लिए 50%, 5 करोड़ रुपए प्रति एमएलडी तक और लार्ज, मेगा व अल्ट्रा-मेगा इकाइयों के लिए 40% या 7.5 करोड़ रुपए प्रति एमएलडी तक।

फ्यूचर-रेडी इन्फ्रास्ट्रक्चर तथा औद्योगिक इकोसिस्टम

गुजरात का औद्योगिक विकास मजबूत एवं भविष्य के लिए तैयार इन्फ्रास्ट्रक्चर द्वारा आगे बढ़ रहा है, जो उत्पादन क्षमता तथा टिकाऊ विकास के बीच संतुलन बनाता है। इस दृष्टिकोण को आगे बढ़ाते हुए गुजरात सरकार इंडस्ट्री 4.0 तथा 5.0 से सुसंगत औद्योगिक इकोसिस्टम को प्रोत्साहित कर रही है, जिसमें स्मार्ट तथा सस्टेनेबल इन्फ्रास्ट्रक्चर के लिए प्रोत्साहन दिया जाता है, जैसे कि वर्कर हाउसिंग, स्टॉर्म वाटर मैनेजमेंट, डिसेलिनेशन तथा नई पीढ़ी की जीआईडीसी सुविधाएं।

- प्राथमिकता गतिविधियां : प्रोजेक्ट खर्च का 80 प्रतिशत, 40 करोड़ रुपए तक
- अन्य गतिविधियां तथा अपग्रेडेशन के कार्य : 60 प्रतिशत 40 करोड़ रुपए तक
- निजी औद्योगिक उद्यान : 80-60-25 प्रतिशत 50 करोड़ रुपए तक (वनबंधु तहसील के लिए 50 प्रतिशत 50 करोड़ रुपए तक)
- पार्क्स/एस्टेट में ग्रीन इन्फ्रा : 25 करोड़ रुपए तक अतिरिक्त 35 प्रतिशत

समावेशी विकास – अर्निंग वेल, लिविंग वेल

उप मुख्यमंत्री श्री हर्ष संघवी

- नई औद्योगिक नीति केवल प्रोत्साहन देने वाली योजना नहीं, बल्कि वर्ष 2047 के विकसित गुजरात के विजन को साकार करने का एक शक्तिशाली माध्यम है
- नई औद्योगिक नीति विभिन्न क्षेत्रों में 15 से 45 फीसदी तक के विविध इंटेंसिव के जरिए उद्योगों को प्रोत्साहन देगी

डॉरमेट्री / वर्किंग वुमन हॉस्टल के विकास के लिए सहायता

अधिक समावेशी तथा मजबूत औद्योगिक इकोसिस्टम को प्रोत्साहित करने के लिए इस नीति अंतर्गत मैन्युफैक्चरिंग हब्स और इंडस्ट्रियल एस्टेट्स के अंदर या निकट स्थित सुरक्षित एवं आधुनिक वर्किंग वुमन हॉस्टल / डॉरमेट्री / लेबर हॉस्टल के विकास के लिए कैपिटल सपोर्ट के रूप में विशेष प्रावधान किया गया है।

प्रमुख प्रोत्साहन :

- कॉमन डॉरमेट्री / लेबर हॉस्टल / वर्किंग वुमन हॉस्टल की स्थापना के लिए : 80 प्रतिशत 40 करोड़ रुपए तक
- उद्योगों द्वारा / निजी औद्योगिक पार्क में कॉमन डॉरमेट्री / लेबर हॉस्टल / वर्किंग वुमन हॉस्टल की स्थापना के लिए : 40 प्रतिशत 40 करोड़ रुपए तक

विकसित गुजरात के लिए महिला उद्यमों का सशक्तिकरण

गुजरात औद्योगिक नीति 2026 समावेशी वृद्धि (विकास) के लिए महिला उद्यमिता को प्राथमिकता देती है, जिसका उद्देश्य बाधाएं कम करना तथा महिला अगुवाई वाले उद्यमों को विचारधारा से लेकर स्कैलिंग तक का आधार देना है।

प्रमुख प्रोत्साहन :

- माइक्रो एंटरप्राइजेस (100 प्रतिशत महिलाओं के स्वामित्व वाले) : अतिरिक्त 1 प्रतिशत ब्याज सब्सिडी
- रिटर्न टू इंडस्ट्री एक्सीलरेटर : कॅरियर विराम के बाद महिलाओं के लिए स्किल रिफ्रेशर कोर्स सीईडी द्वारा चलाए जाएंगे।
- रेंटल असिस्टेंस : महिलाओं की अगुवाई वाले सूक्ष्म उद्यमों के लिए 5 वर्ष के लिए 3 लाख/वर्ष तक के किराए का 75 प्रतिशत
- महिलाओं की अगुवाई वाले स्टार्टअप्स (सह-संस्थापक): 30,000 रुपए/महीने निर्वाह भत्ता।

भविष्य के लिए तैयार वर्कफोर्स की ओर

यह नीति उद्योग-शैक्षणिक भागीदारी तथा लक्ष्यांकित कौशल द्वारा इंडस्ट्री 4.0, ग्रीन टेक तथा अत्याधुनिक उत्पादन के लिए भावी-तैयार कार्यबल को प्रोत्साहन देती है।

प्रमुख प्रोत्साहन :

- एंकर इंस्टीट्यूट्स : 100 प्रतिशत कैपेक्स (मशीनरी एवं संसाधन) तथा 100 प्रतिशत ऑपेक्स सपोर्ट (प्रत्येक 10 करोड़ रुपए तक)
- स्पेशलाइज्ड स्किल सेंटर्स : 75 प्रतिशत कैपेक्स (10 करोड़ रुपए तक) और 75 प्रतिशत ऑपेक्स (5 वर्ष के लिए 25 लाख रुपए/वर्ष तक)
- कैप्टिव स्किल सेंटर्स : 50 प्रतिशत खर्च सहायता (10 करोड़ रुपए तक)
- स्किल अपग्रेडेशन सेंटर्स : जीआईडीसी/औद्योगिक बस्तियों में नए और अपग्रेडेड एसयूसी के लिए सपोर्ट
- एमएसएमईस : मैनेजमेंट प्रशिक्षण तथा विदेशी भाषा के पाठ्यक्रमों के लिए सपोर्ट

संतुलित क्षेत्रीय विकास तथा औद्योगिक भीड़ कम करने के लिए – प्रोजेक्ट T.H.R.I.V.E (थ्राइव)

सबसे भविष्योन्मुखी तथा प्रगतिशील हस्तक्षेपों में एक के रूप में यह नीति प्रोजेक्ट T.H.R.I.V.E. (थ्राइव) प्रस्तुत करती है। शहरी क्षेत्रों में भीड़ कम करने तथा सुनियोजित औद्योगिक विस्तार को सक्षम बनाने के लिए रणनीतिक पहल, अधिक अच्छी ढांचागत सुविधाओं, पर्यावरण एवं जीवन की सरलता के लिए नियुक्त औद्योगिक उद्यानों/एस्टेट में स्थानांतरण द्वारा।

प्रमुख प्रोत्साहन :

- पुनर्स्थापित इकाइयों को नई इकाइयों के रूप में माना जाता है।

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल

- नई औद्योगिक नीति 'विकसित गुजरात से विकसित भारत @2047' के संकल्प को साकार करन वाला सर्वग्राही दस्तावेज है
- इस औद्योगिक नीति में एमएसएमई, स्टार्टअप, महिला उद्यमियों, पहली पीढ़ी के उद्यमियों और युवा शक्ति को विकास के केंद्र में रखा गया है

- वेतन सहायता : 6 महीने की समयावधि के दौरान प्रतिमाह प्रतिव्यक्ति 5,000 रुपए
- पूंजी सब्सिडी : निजी उद्यानों तथा सामान्य इन्फ्रा के लिए 50 करोड़ रुपए तक 25 प्रतिशत, जेडएलडी-एमएसएमई के लिए 50 प्रतिशत तक 5 करोड़ रुपए प्रति एमएलडी, 40 प्रतिशत तक 7.5 करोड़ रुपए प्रति एमएलडी बड़ी इकाइयों के लिए
- वर्कर हाउसिंग : 40 करोड़ रुपए तक के प्रोजेक्ट खर्च का 80 प्रतिशत
- नियमनकारी : ट्रांसफर फीस में छूट, प्लॉट का कॉमर्शियल या रेजीडेंशियल में रूपांतरण, ग्राउंड कवरेज की हल्की कटौती के साथ मौजूदा प्लॉट के लिए एफएसआई, औद्योगिक इन्फ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए पर्यावरणीय मंजूरी की मंजूरी तथा लक्षित सहायता की सुविधा।

"चूज योर इंसेंटिव्स" – उद्योगों के लिए समर्पित प्रोत्साहन पैकेज

गुजरात सरकार ने पहली बार बोल्ड, निवेशक-फ्रेंड्ली फ्रेमवर्क का अनावरण किया है, जो फ्लेक्सिबल, पारदर्शी तथा तेज है। यह उद्योगों को कैपिटल सब्सिडी, ब्याज सब्सिडी अथवा पावर टैरिझ रिएम्बर्समेंट के कस्टमाइज्ड संयोजन का चयन करने की मंजूरी देता है, जो उनके व्यवसाय की सुदृढ़ता के अनुरूप हो। यह नवीन दृष्टिकोण निवेश को वेग देगा, निश्चितता बढ़ाएगा और व्यापार में सरलता तथा औद्योगिक प्रतिस्पर्धात्मकता में नया मानदंड स्थापित करेगा।

- फ्लेक्सिबल प्रोत्साहन ढांचा (उद्योग अपने प्रोजेक्ट की जरूरत के अनुसार कस्टमाइज कर सकते हैं)
- अनुमान तथा निश्चितता
- तेज मंजूरियां
- सरल प्रक्रियाएं
- रिस्पॉन्सिव तथा प्रोएक्टिव गवर्नेंस

एमएसएमई

एमएसएमईस गुजरात की अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं। गुजरात में 42 लाख से अधिक एमएसएमईस नवाचार, रोजगार तथा बुनियादी विकास को आगे बढ़ा रहे हैं। यह नीति लक्षित समर्थन को अनलॉक कर, प्रतिस्पर्धात्मकता में वृद्धि कर और स्कैल को सक्षम कर उनकी गति को मजबूत बनाती है, जिससे एमएसएमईस को मूल्य श्रृंखला को आगे बढ़ाने और गुजरात के औद्योगिक परिवर्तन के विशिष्ट चरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए सशक्त बनाती है।

नीति अंतर्गत एमसएमईस कैपिटल सब्सिडी, ब्याज सब्सिडी अथवा पावर टैरिफ रिएम्बर्समेंट के संयोजन से चयन कर तहसील कैटेगरी पर आधारित प्रोत्साहनों के रूप में 35 प्रतिशत से 45 प्रतिशत निवेश प्राप्त कर सकते हैं :

इसके अलावा, एमएसएमईस गुणवत्ता प्रमाणपत्र, जेडईडी प्रमाणपत्र, ईआरपी सहायता, आईसीटी क्रियान्वयन, टेक्नोलॉजी संपादन के लिए सहायता, पेटेंट पंजीकरण के लिए सहायता,ऊर्जा एवं जल उपयोग बचत के लिए सहायता, एसएमई एक्सचेंज द्वारा पूंजी एकत्र करने, पावर कनेक्शन पार्ट चार्जेस के लिए सहायता और एमएसई मार्केट चार्जेस के लिए सहायता जैसे प्रोत्साहन भी प्रदर्शनों में प्राप्त कर सकते हैं।

बड़े उद्योग (निवेश> 125 करोड़ रुपए)

I.थ्रस्ट सेक्टर में बड़ी इकाइयां 25 प्रतिशत से 35 प्रतिशत तक के निवेशका लाभ निम्नलिखित में से संयोजन का चयन कर तहसील कैटेगरी पर आधारित प्रोत्साहन प्राप्त कर सकती हैं :

II.सामान्य क्षेत्रों में बड़ी इकाइयां निम्नलिखित में से संयोजन का चयन कर तहसील श्रेणी पर आधारित प्रोत्साहनों के रूप में 15 प्रतिशत से 20 प्रतिशत निवेश प्राप्त कर सकती हैं :

मेगा और अल्ट्रा मेगा इंडस्ट्रीज

मेगा इंडस्ट्रीज को कम से कम 250 लोगों के रोजगार सृजन के साथ 1000 करोड़ रुपए तक के न्यूनतम निवेश वाले तथा थ्रस्ट सेक्टर से जुड़े उद्योगों के रूप में व्याख्यायित किया जाता है, जबकि अल्ट्रा मेगा इंडस्ट्रीज को न्यूनतम 10,000 करोड़ रुपए तक के न्यूनतम निवेश वाले उद्योगों के रूप में व्याख्यायित किया जाता है, जिसमें कम से कम 3,000 लोगों के लिए रोजगार सृजन होता है और वह थ्रस्ट सेक्टर से संबंधित है।

इससे राज्य को ऊंचे मूल्य के तथा बड़े पैमाने पर निवेश आकर्षित करने में मदद मिलेगी, जो आगे चलकर मजबूत विकास का आधारस्तंभ बनेगा, सप्लाई चेन को मजबूत बनाएगा, सहायक उद्योग इकोसिस्टम को मजबूत बनाएगा।

I.मेगा यूनिट्स निम्नलिखित में से संयोजन का चयन कर तहसील कैटेगरी पर आधारित प्रोत्साहनों के रूप में 30 प्रतिशत से 35 प्रतिशत तक निवेश प्राप्त कर सकते हैं :

I.अल्ट्रा मेगा यूनिट्स निम्नलिखित में से संयोजन का चयन कर तहसील कैटेगरी पर आधारित प्रोत्साहनों के लिए 35 प्रतिशत से 40 प्रतिशत निवेश प्राप्त कर सकते हैं :

निश्चित प्राथमिक क्षेत्रों के लिए विशेष प्रावधान

गुजरात औद्योगिक नीति 2026 स्पेशल थ्रस्ट सेक्टर्स के लिए उन्नत प्रत्सोहन देती है, जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं :

- मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्पोर्ट्स गुड्स एंड इक्विपमेंट
- मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टॉय्स
- मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फुटवियर
- मैन्युफैक्चरिंग ऑफ रोबोट्स
- मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ड्रोन्स

इन क्षेत्रों को प्रधानता दी गई है, कारण कि वे अत्यंत रोजगार-सघन, एमएसएमई-संचाचिलत हैं और आयात विकल्प तथा निर्यात-नेतृत्व वृद्धि के लिए मजबूत संभावना प्रदान करते हैं। इसका उद्देश्य भावी-तैयार मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने, नवीनता लाने, स्थानीय मूल्य श्रृंखला को मजबूत करने और बड़ी-कुशल एवं अर्ध-कुशल नौकरियों का सृजन करना है। एमएसएमई, बड़ी, मेगा तथा अल्ट्रा-मेगा इकाइयां निम्नलिखित में से संयोजन का चयन कर तहसील कैटेगरी पर आधारित प्रोत्साहनों के रूप में 45 प्रतिशत से 50 प्रतिशत निवेश प्राप्त कर सकती हैं :

निष्कर्ष

माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने नीति लॉन्च के दौरान कहा, "गुजरात हमेशा भारत के औद्योगिक विकास में अग्रसर रहा है। इस नीति द्वारा हम वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धात्मक उद्योगों को स्थापित करने, नई पीढ़ी के निवेश को आकर्षित करने और वैश्विक मूल्य श्रृंखला के साथ हमारे समन्वय को अधिक मजबूत बनाने की ओर एक निर्णायक कदम उठा रहे हैं।"

माननीय उप मुख्यमंत्री श्री हर्ष संघवी ने जोड़ा, "आरएंडडी, नई उभरती टेक्नोलॉजी और इनोवेशन आधारित विकास पर मजबूत बल के साथ यह नीति गुजरात को ज्ञान आधारित तथा टेक्नोलॉजी-केंद्रित अर्थव्यवस्था की ओर भारत के परिवर्तन में नेतृत्व करने का अवसर देगी।"

समग्र रूप से, गुजरात औद्योगिक नीति 2026 एक व्यापक तथा दृष्टिपूर्ण मार्गदर्शिका है, जो "आत्मनिर्भर भारत", "स्वदेशी" और "विकसित भारत-2047" जैसे राष्ट्रीय विजन को मजबूत राज्य स्तरीय कार्यढांचे में रूपांतरित करती है। इस नीति द्वारा गुजरात भारत की विकास यात्रा में अपनी अग्रणी भूमिका को पुनः मजबूत बनाता है और 2047 तक समृद्ध, आत्मनिर्भर और विकसित भारत के निर्माण में विशेषज्ञतापूर्ण योगदान देने की अपनी प्रतिबद्धता दर्शाता है। एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, टिकाऊ विकास तथा समाविष्ट वृद्धि पर मजबूत बल के साथ यह नीति एक सर्वांगीण माहौल बनाती है, जहाँ उद्योग विकास कर सकें, नवीनता ला सकें और वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं के साथ जुड़ सकें। इसके साथ, यह नीति संतुलित क्षेत्रीय विकास को प्रोत्साहन देती है, एमएसएमईस तथा स्टार्टअप्स को सशक्त बनाती है और महिलाओं तथा उदीयमान उद्योगकारों के लिए अवसरों का विस्तार करती है, जिससे विकास समान एवं सर्वसमावेशी बनता है।

निवेश को वेग देकर, नवाचार को प्रोत्साहन देकर तथा व्यवसाय करने की सरलता को सक्षम करके यह नीति राज्य में औद्योगिक परिवर्तन की आगामी लहर को अनलॉक करने के लिए तैयार है। ऐसे करने से उसका उद्देश्य आत्मनिर्भर एवं आर्थिक शक्ति की राष्ट्रीय प्राथमिकताओं में अर्थपूर्ण योगदान देकर गुजरात को भारत के विकास इंजन और पसंदीदा वैश्विक निवेश स्थल के रूप में मजबूत करना है। गुजरात औद्योगिक नीति 2026 भारत की विकास यात्रा में राज्य की नेतृत्व की भूमिका तथा 2047 तक समृद्ध, आत्मनिर्भर तथा विकसित भारत की अनुभूति में निर्णायक ढंग से योगदान देने की उसकी अटूट प्रतिबद्धता को पुनः पुष्ट करती है।